

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 अप्रैल 2018—चैत्र 16, शक 1940

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 मार्च 2018

क्र. ई-5-642-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री विवेक अग्रवाल, आयएस., प्रमुख सचिव, नगरीय विकास तथा आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को वियना आस्ट्रिया में आयोजित Urban Future Global Confrence जो कि दिनांक 28 फरवरी से 2 मार्च 2018 तक आयोजित है के अनुक्रम में दिनांक 3 से 6 मार्च 2018 तक, चार दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विवेक अग्रवाल, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव,

नगरीय विकास तथा आवास विभाग तथा प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक अग्रवाल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक अग्रवाल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

क्र. ई-5-914-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मोहित बुन्दस, आयएस., अपर कलेक्टर, जिला भोपाल को दिनांक 4 मार्च से 10 मार्च 2018 तक "Leadership programme in Urban Transport Planning and Management" विषय पर सिंगापुर एवं सिओल में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के

अनुक्रम में दिनांक 11 से 12 मार्च 2018 तक, दो दिन का एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश तथा दिनांक 13 से 16 मार्च 2018 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री मोहित बुन्दस को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर कलेक्टर, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मोहित बुन्दस को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मोहित बुन्दस अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-1022-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे (2015), अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी,

जिला बालाघाट को समसंख्यक आदेश दिनांक 16 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 5 से 24 मार्च 2018 तक, बीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 5 से 24 मार्च 2018 तक, बीस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 13 से 24 मार्च 2018 तक, बारह दिन की अवधि एक्स-इंडिया अर्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत की जाती है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), वारासिवनी, जिला बालाघाट के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रौशन कुमार सिंह, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2018

क्र. ई-1-57-2018-5-एक.—नीचे तालिका के खाना (2) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना (3) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, पदस्थ किया जाता है:—

तालिका

क्र.	अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	खाना (3) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया
(1)	(2)	(3)	(4)
1	श्री मुकेश चन्द गुप्ता, (1998), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन सचिव, ऊर्जा विभाग.	सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग	—
2	श्री बी. एस. जामौद (2006), विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मध्यप्रदेश मंत्रालय.	कलेक्टर, जिला अशोकनगर	—
3	श्री विशेष गढ़पाले (2008), कलेक्टर, जिला कटनी.	प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत् वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर.	उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन
4	श्री वी. एस. चौधरी कोलसानी (2011), कलेक्टर, जिला अशोकनगर.	कलेक्टर, जिला कटनी	—
5	श्री अनूप कुमार सिंह (2013), मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सतना.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अनूपपुर.	—

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2018

क्र. ई-5-611-आयएएस-लीव-एक-5.—(1) श्री संजय कुमार शुक्ल, आयएएस., प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पावर मेनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर तथा पदेन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग को दिनांक 3 फरवरी से 8 मार्च 2018 तक, छः दिन का अर्जित अवकाश कार्योंतर स्वीकृत किया जाता है।

(2) अवकाशकाल में श्री संजय कुमार शुक्ल को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय कुमार शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-751-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री पवन कुमार शर्मा, आयएएस., सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर को दिनांक 22 से 31 मार्च 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 1 अप्रैल 2018 का सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार शर्मा, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार शर्मा अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-884-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) सुश्री तन्वी सुन्दरियाल, भाप्रसे, कलेक्टर, जिला रतलाम को समसंख्यक आदेश दिनांक 12 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 5 फरवरी से 6 मार्च 2018 तक, तीस दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया गया था, के अनुक्रम में दिनांक 7 से 16 मार्च 2018 तक, दस दिन का प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 12 फरवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

क्र. ई-5-1006-आयएएस-लीव-5-(एक).—(1) श्रीमती मंजू शर्मा, आयएएस., अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल को दिनांक 9 से 17 अप्रैल 2018 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 एवं 18

अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती मंजू शर्मा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अपर आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती मंजू शर्मा, भाप्रसे अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2018

क्र. ई-5-608-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री आशीष श्रीवास्तव, आयएएस., विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को दिनांक 9 से 17 अप्रैल 2018 तक नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त अवकाश के साथ दिनांक 8 अप्रैल 2018 का सार्वजनिक अवकाश जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

(2) श्री आशीष श्रीवास्तव की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री प्रकाश उन्हाले, भावसे, अपर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आशीष श्रीवास्तव को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आशीष श्रीवास्तव द्वारा विकअ-सह-आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री प्रकाश उन्हाले उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आशीष श्रीवास्तव को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आशीष श्रीवास्तव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-927-आयएएस-लीव-5-एक.—(1) श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष, आयएएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ को दिनांक 20 से 24 मार्च 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 17, 18, 19 एवं 25 मार्च 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ़ के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री प्रवीण सिंह अध्यक्ष, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2018

क्र. ई-5-564-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्रीमती वीरा राणा, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग को नीचे उल्लेखित अवधियों का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है:—

1. दिनांक 4 से 13 अप्रैल 2018 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 14, 15 अप्रैल 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित।
2. दिनांक 14 से 18 मई 2018 तक, पांच दिन का अर्जित अवकाश दिनांक 12, 13 एवं 19, 20 मई 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति सहित।

(2) श्रीमती वीरा राणा की दोनों अवकाश अवधि में प्रभार श्री मलय श्रीवास्तव, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती वीरा राणा को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्रीमती वीरा राणा द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, कुटीर एवं ग्रामोद्योग तथा संसदीय कार्य विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री मलय श्रीवास्तव उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्रीमती वीरा राणा को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती वीरा राणा अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर कार्य करती रहतीं।

क्र. ई-5-607-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री के. सी. गुप्ता, आयएस., प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग को दिनांक 3 से 5 अप्रैल 2018 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

(2) श्री के. सी. गुप्ता की अवकाश अवधि में श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे., प्रमुख सचिव, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का प्रभार सौंपा जाता है।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. गुप्ता को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. सी. गुप्ता द्वारा प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री राजेश राजौरा, भाप्रसे., उक्त प्रभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. सी. गुप्ता को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. गुप्ता, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

क्र. ई-5-902-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री रजनीश श्रीवास्तव, आयएस., आयुक्त, शहडोल संभाग, शहडोल को दिनांक 16 जनवरी से 3 फरवरी 2018 तक, उन्नीस दिन का एकस-इंडिया अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाशकाल में श्री रजनीश श्रीवास्तव, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रजनीश श्रीवास्तव, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बसंत प्रताप सिंह, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 मार्च 2018

क्र. ई-5-961-आयएस-लीव-5-एक.—(1) श्री मयंक अग्रवाल, आयएस., मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रीवा को समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2018 द्वारा दिनांक 5 से 16 फरवरी 2018 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, मैं आंशिक संशोधन करते हुए, अब, उन्हें दिनांक 5 से 12 फरवरी 2018 तक, आठ दिन का संशोधित/पुनरीक्षित अर्जित अवकाश कार्योंत्तर स्वीकृत किया जाता है। उक्त अवकाश के साथ दिनांक 4 फरवरी 2018 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

(2) समसंख्यक आदेश दिनांक 9 फरवरी 2018 की शेष कंडिकाएं यथावत्।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक".

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. एफ-1(ए) 152-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, आपदा प्रबन्धन मध्यप्रदेश को स्वयं के उपचार हेतु दिनांक 20 फरवरी से 11 मार्च 2018 तक, बीस दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से चालीस दिवस का अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. एफ-1(ए) 22-1993-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री के. टी. वाईफै, भापुसे, प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग भोपाल को दिनांक 5 से 16 मार्च 2018 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री के. टी. वाईफै, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रमुख सलाहकार, राज्य योजना आयोग भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री के. टी. वाईफै, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. टी. वाईफै, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1(ए)29-2013-ब-2-दो.—राज्य शासन द्वारा श्री रियाज इकबाल, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना को परिवार सहित कोल्लम (केरला) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा की अनुमति एवं दिनांक 3 से 10 मार्च 2018 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश के साथ स्वीकृत करते हुए उक्त अवकाश अवधि में खण्डवर्ष 2014-17 (2016-17) के विस्तार वर्ष 2017 में (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष में 2018-21 में केरीफार्वड करते हुए) परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भ्रमण की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- | | | |
|------------------------|---|--------|
| 1. श्री रियाज इकबाल | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती दिव्या मोहन | — | पत्नी |
| 3. कु. दिया डी रियाज | — | पुत्री |

(2) श्री रियाज इकबाल, भापुसे., पुलिस अधीक्षक, जिला पन्ना की अवकाश अवधि में इनका चालू कार्य श्री कुमार सौरभ, सेनानी, 6वीं वाहिनी विसबल, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री रियाज इकबाल, भापुसे., को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, पुलिस अधीक्षक जिला पन्ना के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री रियाज इकबाल, भापुसे., के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री रियाज इकबाल, भापुसे., को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री रियाज इकबाल, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. एफ 1(ए)63-2012-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, भोपाल को दिनांक 2 से 20 अप्रैल 2018 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 1 अप्रैल 2018 व 21-22 अप्रैल 2018 के विज्ञप्त अवकाश के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, भोपाल का चालू कार्य श्री चन्द्र शेखर सोलंकी, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ किया जावेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न उप पुलिस महानिरीक्षक, पीटीआरआई, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे., द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आई. पी. अरजरिया, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव।

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2018

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-604.—(मेरिट क्र. 32), राज्य शासन, सुश्री पल्लवी जिंदल पिता श्री नरेश कुमार जिंदल को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला कैथल, हरियाणा है। उसकी जन्मतिथि 26 नवम्बर 1990 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-829.—(मेरिट क्र. 68), राज्य शासन, सुश्री प्रियंका सुमन पिता डॉ. राजकुमार सुमन को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला सीहोर (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 29 जुलाई 1987 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-846.—(मेरिट क्र. 91), राज्य शासन, सुश्री सुमित्रा ताहेड़ पिता श्री श्यामा ताहेड़ को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला झाबुआ (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 05 मई 1984 है।

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-993.—(मेरिट क्र. 98), राज्य शासन, श्री अमित सिंह धुर्वे पिता श्री मदन सिंह धुर्वे को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला कटनी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 12 दिसम्बर 1986 है।

फा. क्र. 3(ए) 2016-इक्कीस-ब(एक)-1065.—(मेरिट क्र. 93), राज्य शासन, सुश्री अंजली शाह पिता श्री धरमसिंह मसराम को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है।

अभ्यर्थी का गृह जिला डिण्डोरी (मध्यप्रदेश) है। उसकी जन्मतिथि 20 जुलाई, 1984 है।

फा. क्र. 3 (ए)-15-2005-1478-इक्कीस-ब (एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री नवीन कुमार सक्सेना, छठवें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ग्वालियर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्त पर नियुक्त करता है।

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब (एक)-1477.—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है।

क्र.	नाम एवं वर्तमान पद	पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्रीमती अनुराधा शुक्ला, विधिक सलाहकार, ई.ओ. डब्ल्यू., भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, खण्डवा.
2	श्रीमती आशा गोधा, स्पेशल जज, एस.सी./ एस.टी. (पी.ए.) एक्ट, जबलपुर.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा.
3	कु. नीना आशापुरे, अपर जिला न्यायाधीश कन्नोद. जिला देवास.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, गुना एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर.
4	श्री मो. सैय्यददुल अबरार अंसारी, पीठासीन अधिकारी, मध्यप्रदेश स्टेट बन्क ट्रिब्यूनल, भोपाल.	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, देवास.

- | (1) | (2) | (3) |
|-----|--|--|
| 5 | श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया,
अपर जिला न्यायाधीश, हटा
जिला दमोह. | अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर |
| 6 | श्री कृष्णकांत शर्मा,
अष्टम अपर जिला
न्यायाधीश, ग्वालियर. | प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब
न्यायालय, दतिया. |

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. एफ-3-32-2014-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग की सूचना दिनांक 24 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

उक्त अधिकारी को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

NOTICE

Bhopal the 24th March 2018

No. F-3-32-2014-XXXII.—Notice under Section 19(4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan Guna (Planning Area) 2031 under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely :—

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. एफ-3-32-2014-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा गुना निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना, 2031 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात् :—

1. आयुक्त ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर, मध्यप्रदेश
2. कलेक्टर, गुना, जिला गुना, मध्यप्रदेश
3. मुख्य नगरपालिक अधिकारी, नगरपालिका गुना, मध्यप्रदेश.
4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय गुना, मध्यप्रदेश.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

1. Commissioner, Gwalior Division, Gwalior, Madhya Pradesh.
2. Collector, District, Guna Madhya Pradesh.
3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad Guna, Madhya Pradesh.
4. Duputy Director, Town & Country Planning Distt. Office Guna, Madhya Pradesh.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from publication of this notice in Madhya Pradesh, Gazettee under Section 19 (5) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
C. K. SADHAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 3 अप्रैल 2018

क्र. एफ-3-27-2017-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012), की धारा 23-“क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय भोपाल की सूचना क्रमांक 16-उपां-टीसी-भोपाल 2017, दिनांक 19 जनवरी 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में उपांतरण की पुष्टि करता है. उपांतरण के ब्यौरे निम्नानुसार है :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	ग्राम कलखेड़ा (रातीबड़)	250/1, 250/2, 252, 253, 256/2/1, 256/2/2, 294/1, 294/2, 295, 296/8, 297, 298, 519/10 519/11, 519/12/2, 519/ 12/4, 519/12/5, 519/12/6, 519/2, 519/5, 519/7, 519/9.	5.337 हेक्टेयर	कृषि	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक (शैक्षणिक).

योग . . . 5.337

1. आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 के उपनियम 13(क) अन्तर्गत देय राशि रुपये 11,74,140/- (रुपये ग्यारह लाख, चौहत्तर हजार, एक सौ चालीस रुपये मात्र) दिनांक 31 मार्च 2018 को भारतीय स्टेट बैंक, महावीर नगर शाखा, भोपाल में चालन क्रमांक-91 द्वारा राजकीय कोष में जमा की गई है.

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना, 2005 का एकीकृत भाग होगा.

भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2018

क्र. एफ-3-100-बत्तीस-2010.—राज्य शासन एतद्वारा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री अरविन्द मोहन सक्सेना, प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल को मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त करता है.

(2) मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के न्यायिक सदस्य का कार्यकाल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 47(1) में विहित अवधि के लिये होगा. न्यायिक सदस्य को पुर्ननियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.

(3) न्यायिक सदस्य, को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के नियम 30(1) (ख) के अनुसार संदाय किया जायेगा.

क्र. एफ-3-100-बत्तीस-2010.—राज्य शासन एतद्वारा रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 45 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, श्री जितेन्द्र शंकर माथुर, सेवानिवृत्त, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी को मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण का न्यायिक सदस्य नियुक्त करता है.

(2) मध्यप्रदेश रियल एस्टेट अपीलीय अधिकरण के प्रशासनिक का कार्यकाल रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) अधिनियम, 2016 की धारा 47(1) में विहित अवधि के लिये होगा. प्रशासनिक सदस्य को पुर्ननियुक्ति की पात्रता नहीं होगी.

(3) प्रशासनिक सदस्य को वेतन, भत्ते एवं अन्य परिलब्धियां तथा सेवा शर्तें, मध्यप्रदेश रियल एस्टेट (रेगुलेशन एण्ड डेवलपमेंट) नियम, 2017 के नियम 30(1) (ख) के अनुसार संदाय किया जायेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. के. साधव, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश

नीमच, दिनांक 13 मार्च 2018

क्र. 284-एस.सी.-2-2018.—मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. 19-196-1-2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004 के प्रावधान अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति (जिला योजना समिति) द्वारा दिनांक 7 मई 2017 को पारित प्रस्ताव अनुसार शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रामपुरा, जिला नीमच का नामकरण पण्डित अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामपुरा जिला नीमच किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कौशलेन्द्र विक्रम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश

जबलपुर, दिनांक 13 मार्च 2018

क्र. 2077-कार्य विभाग-अधीक्षक-2018.—मध्यप्रदेश लोक परिसर (बेदखली) अधिनियम, 1974 की धारा 17 के अधीन मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश के राजपत्र में दिनांक 16 अप्रैल 1976 के पृष्ठ क्रमांक 694 पर प्रकाशित अधिसूचना से प्राप्त राज्य शासन के अधिकारों का उपयोग करते हुए अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत में, महेश चंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला जबलपुर में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी नियुक्त करता हूँ:—

क्रमांक (1)	अधिकारी का नाम एवं पदनाम (2)	आर्बटित कार्यक्षेत्र (3)
1	श्री नमः शिवाय अरजरिया, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जबलपुर.	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, जबलपुर
2	श्रीमती उमा माहेश्वरी, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सिहोरा.	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, सिहोरा
3	श्री पी. के. सेनगुप्ता, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पाटन.	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, पाटन
4	श्री जे. पी. यादव, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कुण्डम	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, कुण्डम
5	श्री अरविन्द सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोरखपुर.	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, गोरखपुर

(1)	(2)	(3)
6	श्री मुनीष सिंह सिकरवार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोतवाली.	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, कोतवाली
7	श्री सुनील शुक्ला, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रांझी	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, रांझी
8	श्री व्ही. के. कर्ण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), गोहलपुर.	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, गोहलपुर
9	सुश्री मनीषा वाक्सले, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ओमती.	सक्षम प्राधिकारी राजस्व अनुविभाग, ओमती.

महेशचंद्र चौधरी, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण, विंध्याचल भवन, भू-तल, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. 205-फा. क्र.- 22-1-स्था.-2013.—मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण विनियम, 1985 के विनियम-34 (2) (ख) के अनुसरण में, एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है कि उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा प्रकाशित वर्ष 2018 के कलैण्डर अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश अवधि के दौरान, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण में दिनांक 21 मई से 02 जून 2018 तक की अवधि का ग्रीष्मकालीन विश्रामावकाश रहेगा.

तथापि उक्त विश्रामावकाश अवधि में सार्वजनिक व सामान्य अवकाश दिवसों को छोड़कर, सामान्य कार्य दिवसों में अधिकरण का कार्यालयीन कार्य यथावत जारी रहेगा.

माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार,
एम. एस. परिहार, रजिस्ट्रार I/C.

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

आगर विकास योजना, 2041 में प्रस्तावित उपांतरण की सूचना

क्र. 1663-वि.यो. 496-2018.—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि आगर विकास योजना, 2041 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973), की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित किया गया है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, उज्जैन, संभाग उज्जैन
2. कलेक्टर, आगर मालवा, जिला आगर, मालवा,

3. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास,
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, आगर मालवा.

अनुसूची

क्र.	विकास योजना (नगर का नाम)	विकास योजना में भूमि में उपयोग	अध्याय	विकास योजना की सारणी/ कंडिका क्रमांक	सारणी/ कंडिका/ कॉलम का सरल क्रमांक	उपांतरण प्रस्ताव उपांतरित कॉलम क्रमांक (5) एवं कॉलम क्रमांक (6) में अतिरिक्त प्रस्तावित स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	आगर विकास योजना 2041	सार्वजनिक एवं अर्द्ध-सार्वजनिक	6	सारणी 6-सा-13	5	गैर प्रदूषणकारी उद्योग**
		कृषि	6	सारणी 6-सा-13	8	सूचना प्रौद्योगिकी*, गैर प्रदूषणकारी उद्योग**, कृषि पर्यटन सुविधा*** एवं गोदाम के स्थान पर समस्त प्रकार के भण्डारण जो सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार्य होंगे.

व्याख्या—

- i *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें.
- ii **गैर प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मंडल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग.
- iii ***कृषि पर्यटन सुविधा से तात्पर्य है कि मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 17(क) में वर्णित अनुसार.

टीपः—उपरोक्त i एवं ii के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी.

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता के निरीक्षण हेतु www.mptownplan.gov.in वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे. यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हो, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में "मध्यप्रदेश राजपत्र" में सूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

स्वाति मीणा नायक, संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. 142-स्था.निर्वा.-2018.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, डॉ. सुदाम खाड़े, कलेक्टर, भोपाल मण्डी अधिनियम की धारा 11 (1) (घ) के अनुक्रम में मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (लोकसभा तथा विधानसभा सदस्य की मण्डी समिति में सदस्यता तथा प्रतिनिधि का नाम निर्देशन) नियम, 2010 के अन्तर्गत भोपाल जिले की निम्न कृषि उपज मण्डी समिति के लिये एतद्वारा प्रतिनिधि का नाम निर्दिष्ट करता हूँ:—

अनुसूची

क्र.	मण्डी का नाम	नामनिर्दिष्ट सदस्य का नाम एवं पता	मण्डी अधिनियम की धारा
(1)	(2)	(3)	(4)
1	भोपाल	श्री रवीन्द्र कुमार धूत, म. नं. 11, गली नं. 1, मारवाड़ी रोड, भोपाल.	धारा 11 (1) (घ)

सुदाम खाड़े, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रतलाम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रतलाम, दिनांक 14 मार्च 2018

सार्वजनिक सूचना

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 629-भू-अर्जन-2017-18-प्र.क्र. अ-82-2017-18.—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि बर्डियाराठौर बैराज, तहसील आलोट, जिला रतलाम के निर्माण हेतु खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2014-सात-2ए/भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में से किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

ग्राम बर्डियाराठौर, पटवारी हल्का नंबर-11

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	चन्दर पिता गोपाल जाति गायरी, निवासी ग्राम बर्डियाराठौर.	115/1	0.02	—	0.02	—
2	बाबु, पुरा, मोती पिता वरदा, जाति गायरी, निवासी ग्राम बर्डियाराठौर.	115/2	0.12	—	0.12	—

रतलाम, दिनांक 24 मार्च 2018

(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)

क्र. 715-भू-अर्जन-2018-प्र.क्र. 14-अ-82-2017-18.—एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुन्दनपुर बैराज योजना तहसील बाजना जिला रतलाम के निर्माण हेतु ग्राम लाम्बीसादड के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ-12-2-2014-सात-2ए/भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति की तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिन की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात् किसी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा:—

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			परिसंपत्ति का विवरण
			सिंचित	असिंचित	कुल	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कान्तु कालु रूपचंद पिता पुनिया एवं दल्ली बेवा पुनिया पिता सुखिया, जाति भील, निवासी लाम्बीसादड.	104 में से	0.200	—	0.200	—

रुचिका चौहान, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र. 43-2018-एलए-4342-राप्रक्र-अ-82-2016-17

खण्डवा, दिनांक 14 मार्च 2018

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म0प्र0शासन, राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014/सात/ए, दिनांक 12.11.2014 (म0प्र0राजपत्र, दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गयी है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सभाग क्रमांक 28 पुनासा की बिहारीपुराकला वितरण शाखा नहर के निर्माण क्षेत्र में आ रही ग्राम लालपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका 10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र स्व में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील पुनासा प0ह0नं0 30 ग्राम किसनपुरा राजस्व निरीक्षक मण्डल माधता कुल रकबा 1.14 हेक्टर

क	भू धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टर में	प्रभावित रकबा हेक्टर में	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	अन्य संपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मेदाबाई विधवा प्रतापसिंह, मानसिंह .पुरणसिंह, छतरसिंह. भगवानसिंह, दौलतसिंह पिता प्रतापसिंह रेशमबाई श्यामबाई पुत्री प्रतापसिंह निवासी ग्राम लालपुरा	124	2.2	0.18	0.18	0	
2	लालसिंह पिता नथूसिंह निवासी ग्राम लालपुरा	126/1	0.51	0.18	0.18	0	
3	रामू पिता हजारी निवासी	126/3	0.25	0.11	0.11	0	

4	ग्राम लालपुरा नहारसिंह पिता हजारी निवासी ग्राम फिफराड	126/2	0.25	0.11	0.11	0
5	लाडकीबाई विधवा सुमेरसिंग, जालमसिंह कमलसिंह पिता सुमेरसिंग, प्रेमाबाई, सेवन्ताबाई, गजराबाई गेन्दाबाई पिता सुमेरसिंग	177	0.49	0.12	0.12	0
6	रघुनाथसिंह पिता दौलतसिंग निवासी ग्राम लालपुरा	175	0.28	0.1	0.1	0
7	रघुनाथसिंह पिता दौलतसिंग निवासी ग्राम लालपुरा	173	0.3	0.14	0.14	0
8	अनोपसिंग पिता ठाकुरसिंग, सुन्दरबाई, सुलोचनाबाई पुत्री ठाकुरसिंग	171	0.8	0.2	0.2	0
	योग		5.08	1.14	1.14	0

क्र. 41-2017-एलए-4345-राप्रक्र-अ-82-2016-17

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म०प्र०शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म०प्र०राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की 'आपसी सहमति से भूमि कय नीति' जारी की गयी है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 28 पुनासा की बिहारीपुराकला वितरण शाखा नहर के निर्माण क्षेत्र में आ रही ग्राम बिहारीपुराकला के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका .10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र स्व में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से कच की जाने वाली भूमि का विवरण

जिला खण्डवा, तहसील पुनासा प0ह0न0 28 ग्राम बिहारीपुराकला राजस्व निरीक्षक मण्डल

मांधता कुल रकबा 1.1.34 हेक्टर

क	भू धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टर में	प्रभावित रकबा हेक्टर में	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	अन्य संपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अर्जुनसिंह हिम्मतसिंह , लालसिंह , मोहनसिंह पिता बाकाजी , कलाबाई , किरकर्ताबाई, ग्यारसीबाई, दुगाईबाई पुत्री बाकाजी निवासी लालपुरा	297	1.22	0.27	0.27	0	
2	भैरवसिंह पिताजालमसिंह निवासी गाम लालपुरा	298	3.32	0.22	0.22	0	
3	किसन पिता पुनया निवासी फिफराड	274/1	1.18	0.08	0	0.08	
4	घनईबाई बेवा बाबू , मोहन , अनोखीलाल , सुखदेव, सरदार, पिता बाबु , बुद्धिबाई, नथीबाई, सुभद्राबाई , झरोकाबाई पुत्री बाबू निवासी ग्राम बिहारीपुराकला	274/2	1.06	0.22	0	0.22	
5	गोपाल पिता नथूसिंह निवासी बिहारीपुराकला	270/1	0.61	0.02	0.02	0	
6	रमेश पिता नथूसिंह निवासी ग्राम बिहारीपुराकला	270/2	1.6	0.08	0.08	0	
7	बिरजबाई पति छगन निवासी ग्राम फिफराड	266/2	1.6	0.08	0.08	0	
8	-शंकरसिंह पिता रतनसिंह निवासी ग्राम बिहारीपुराकला	265/1	2.4	0.03	0.03	0	
9	संपत्तिसिंग पिता रतनसिंह निवासी ग्राम बिहारीपुराकला	265/2	2.4	0.03	0.03	0	

10	रतनसिंह पिता भैरवसिंह निवासी ग्राम बिहारीपुराकला	265/3	2.69	0.04	0.04	0	
11	कृष्णपालसिंह पिता नथूसिंह निवासी बिहारीपुराकला	264	3.56	0.1	0.1	0	
12	रुस्रइसिंह पिता राधिया निवासी ग्राम बिहारीपुराकला	262	3.72	0.07	0.07	0	
13	नानाजी पिता नन्या निवासी बिहारीपुराकला	161	1.81	0.1	0.1	0	
	महोयाग		27.17	1.34	1.04	0.3	

क्र. 42-2018-एलए-4348-राप्रक्र-अ-82-2016-17

राज्य शासने के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। म०प्र०शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक 12.2.2014/सात/ए दिनांक 12.11.2014 (म०प्र०राजपत्र दिनांक 14.11.2014) अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू-धारकों की "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" जारी की गयी है।

इस नीति के अन्तर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास सभाग क्रमांक 28 पुनासा की बिहारीपुराकला वितरण शाखा नहर के निर्माण क्षेत्र में आ रही ग्राम किसनपुरा के कृषकों की निजी भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भू-स्वामी/भूस्वामियों द्वारा नीति की कंडिका .10 के अन्तर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र स्व में सहमति प्रस्तुत कर दी गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका -11(1) के अन्तर्गत सर्व साधारण की सूचना के लिये यह सूचना जारी की जा रही है कि नीति के अन्तर्गत भूमि विभाग के पक्ष में कय किये जाने पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला खण्डवा, तहसील पुनासा प०ह०नं० 30 ग्राम किसनपुरा राजस्व निरीक्षक मण्डल
माघता कुल रकबा 0.47 हेक्टर

क	भू धारक का नाम	खसरा नंबर	कुल रकबा हेक्टर में	प्रभावित रकबा हेक्टर में	सिंचित रकबा	असिंचित रकबा	अन्य संपत्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मंगीलाल भीमसिंह कमलसिंह पिता प्रेमसिंह कडवीबाई, जामबाई, रमईबाई पुत्री प्रेमसिंग निवासी किसनपुरा	209	0.36	0.24	0.24	0	

2	दगडबाई विधवा हीरानारायण हीरा राजू पिता सीताराम ललता बाई पुत्री हीरा निवासी ग्राम किसनपुरा	214	0.33	0.09	0.09	0	
3	दगडबाई विधवा हीरानारायण, हीरा राजू पिता सीताराम ललता बाई पुत्री हीरा निवासी ग्राम किसनपुरा	213	1.4	0.14	0.14	0	
	योग		2.09	0.47	0.47	0	

अभिषेक सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 800

नेपानगर, दिनांक 22 मार्च 2018

प्रारंभिक सूचना

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क. 30 सन् 2013)

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क. 01 में करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना अंतर्गत ग्राम करदली, खकनारकला, सावली तहसील खकनार जिला बुरहानपुर की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची (1)

ग्राम - करदली, खकनारकला, सावली

तहसील - खकनार, जिला बुरहानपुर

क.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1	करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना हेतु	17.450	6.59	24.040

अनुसूची (2)

करदली स्टोरेज तालाब (बिना नहर) योजना अंतर्गत ग्राम करदली, खकनारकला, सावली तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर की प्रस्तावित भूमि का विवरण

स.क	भूमि धारक का नाम एवं पिता का नाम	खसरा कमांक	भूमि का कुल रकबा			अर्जित की जाने वाली भूमि का		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ग्राम - करदली								
1	प्रशांत पिता शिवप्रसाद पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी	30	4.33		4.330	1.55	0	1.55
2	गंगूबाई पति शिवराम पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी	31	2.00	0.220	2.220	0.78	0.22	1.00
3	रतिलाल सुकलाल पिता मंगल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/1	1.70	0.230	1.930	1.20	0.00	1.20
4	गंगूबाई बेवा मंगल नंदू सोनीबाई पिता मंगल निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/2	1.20		1.200	0.50	0.00	0.50
5	जानूबाई पति चन्द्रसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/3		0.600	0.600	0.00	0.60	0.60

6	जानूबाई पति चन्द्रसिंग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	32/4		0.600	0.600	0.00	0.40	0.40
7	नागजी पिता देवसिंग पता निवासी जामुन्या भूमि स्वामी	86/1	2.00	0.050	2.050	0.55	0.05	0.60
8	जाला पिता देवसिंग पता निवासी जामुन्या भूमि स्वामी	86/2		2.040	2.040	0.00	0.30	0.30
9	देवसिंग पिता भूरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/3		2.040	2.040	0.00	0.20	0.20
10	हिरालाल पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/1	1.95		1.950	1.25	0.00	1.25
11	लक्ष्मण पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/2	1.90	0.060	1.960	1.19	0.06	1.25
12	शालीकराम पिता बाबू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/3		2.200	2.200	0.00	1.60	1.60
13	केन्द्रे विधवा पुंज्याबुडी जीजी, पुत्री पुंज्या जगनाय विधवा पुंज्या भीका पिता ढोकल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मगन, जगन पिता केन्द्रे पोमाबाई सुंगधीबाई पुत्री केन्द्रे जमनाबाई बेवा किसन सोहनलाल पिता किसन सकुबाई पुत्री किसन बुडी पुत्री पुंज्या जगन्नाथ पिता पुंज्या मीना पिता ढोकल अ.पा. लक्ष्मीबाई राधाबाई पुत्री ढोकल अ.पा. ढोकल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अ. लक्ष्मीबाई, राधाबाई बुडी पुत्री ढोकल अ.रा. ढोकल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88/1		4.760	4.760	0.00	2.36	2.36
14	कालीबाई बेवा केकडिया राधाबाई पुत्रि केकडिया मांगीलाल गेंदीलाल गोपाल पिता केकडिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	88/2		1.200	1.200	0.00	0.80	0.80
15	काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/1	0.83		0.830	0.83	0.00	0.83
16	गेंदीबाई पति धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/2	1.60		1.600	1.60	0.00	1.60
17	लक्ष्मण पिता भवरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/3	2.00		2.000	2.00	0.00	2.00
18	काशीराम पिता धन्ना पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/4	0.40		0.400	0.40	0.00	0.40
19	भोगीलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/1	1.55		1.550	1.00	0.00	1.00
20	रामभाउ पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/2	1.55		1.550	0.80	0.00	0.80
21	बाबुलाल पिता कालू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/3	1.55		1.550	0.50	0.00	0.50
22	अनारसिंह पिता सीताराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	93/5	1.00		1.000	0.40	0.00	0.40
	योग-		25.560	14.000	39.560	14.550	6.590	21.140
	ग्राम - खकनारकला							
1	रघुनाथ पिता केशो पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	219/6	1.600	0.019	1.619	0.30	0	0.30
	योग-		1.600	0.019	1.619	0.300	0.000	0.300
	ग्राम - सावली							
1	प्रविण पिता आनंदा पता निवासी खकनारकला भूमि स्वामी	114/2	1.550	0.050	1.600	1.00	0.00	1.00
2	साकिना विधवा मोहम्मदखां अकबर पिता मोहम्मदखां पता निवासी सावली भूमि स्वामी	115	4.920	0.090	5.010	1.60	0.00	1.60
	योग-		6.470	0.140	6.610	2.600	0.000	2.600
	महायोग-		33.630	14.159	47.789	17.450	6.590	24.040

नोट - अर्जित की जाने वाली भूमि के रकबे में वृद्धि या कमी हो सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

आदेश

क्रमांक एफ 01-02-2014-सात-शाखा 6-527.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बैतूल की तहसील मुलताई की सीमाएं, उसमें से, तहसील मुलताई के राजस्व वृत्त प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का क्रमांक 71 से 135 (कुल 65 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त प्रभातपट्टन के पटवारी हल्का क्रमांक 71 से 135 (कुल 65 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील प्रभातपट्टन का सृजन करती है, जिसमें कुल 65 पटवारी हल्के होंगे तथा 120 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय प्रभातपट्टन में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-02-2014-सात-शाखा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-02-2014-सात-शाखा-6, दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F-1-02-2014-VII-6-527.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, alter the limits of Multai Tehsil of District Betul from the date of publication of this order in the Official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 71 to 135 (total 65 Halkas) of Revenue Circle Prabhatpttan of Tehsil Multai and Creates a new Tehsil Prabhatpttan comprising of Patwari Halka No 71 to 135 (total 65 Halkas) of Revenue Circle Prabhatpttan in which the total Patwari Halkas shall be 65 and Village shall be 120. The headquarter of the said Tehsil shall be at Prabhatpttan.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PANDEY, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

आदेश

क्रमांक एफ 01-06-2012-सात-शाखा 6-529.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला

सागर की तहसील सागर की सीमाएं, उसमें से, तहसील सागर के राजस्व वृत्त जैसीनगर, सेमाढाना एवं बिलहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 188 (कुल 62 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए परिवर्तित करती है, तथा राजस्व वृत्त जैसीनगर, सेमाढाना एवं बिलहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से 188 (कुल 62 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील जैसीनगर का सृजन करती है, जिसमें कुल 62 पटवारी हल्के होंगे तथा 149 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय जैसीनगर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ-1-06-2012-सात-शाखा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-06-2012-सात-शाखा-6, दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F-1-06-2012-VII-6.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government hereby, alter the limits of Sagar Tehsil of District Sagar from the date of publication of this order in the Official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 127 to 188 (total 62 Halkas) of Revenue Circle Jaisinagar, Semadhana and Bilhera of Tehsil Sagar and Creates a new Tehsil Jaisinagar comprising of Patwari Halka 127 to 188 (Total 62 Halkas) of Revenue Circle Jaisinagar, Semadhana and Bilhera in which the Total Patwari Halkas shall be 62 and Village shall be 149. The headquarter of the said Tehsil shall be at Jaisinagar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

ARUN PANDEY, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

आदेश

क्रमांक एफ 01-03-2016-सात-शाखा 6-531.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला बैतूल की तहसील भैंसदेही की सीमाएं, उसमें से, तहसील भैंसदेही के राजस्व वृत्त भीमपुर एवं चिल्लौर के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 54 (कुल 54 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त भीमपुर एवं चिल्लौर के पटवारी हल्का क्रमांक 01 से 54 (कुल 54 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील भीमपुर का सृजन करती है, जिसमें कुल 54 पटवारी हल्के होंगे तथा 154 ग्राम होंगे। उक्त तहसील का मुख्यालय भीमपुर में होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-03-2016-सात-शाखा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-03-2016-सात-शाखा-6, दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F-1-03-2016-VII-6-531.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, alter the limits of Bhainsdehi Tehsil of District Betul from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 01 to 54 (total 54 Halkas) of Revenue Circle Bhimpur and Chillore of Tehsil Bhainsdehi and Creates a new Tehsil Bhimpur comprising of Patwari Halka No. 01 to 54 (total 54 Halkas) of Revenue Circle Bhimpur and Chillore in which the total Patwari Halkas shall be 54 and Village shall be 154. The headquarter of the said Tehsil shall be at Bhimpur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PANDEY, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018
आदेश

क्रमांक एफ 01-11-2016-सात-शाखा 6-533.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला उमरिया की तहसील चंदिया की सीमाएं, उसमें से, तहसील चंदिया के राजस्व वृत्त बिलासपुर के पटवारी हल्का क्रमांक 26 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 28 से 42 (कुल 16 पटवारी हल्के) अपवर्जित करते हुए, परिवर्तित करती है तथा राजस्व वृत्त बिलासपुर के पटवारी हल्का क्र. 26 एवं पटवारी हल्का क्रमांक 28 से 42 (कुल 16 पटवारी हल्के) को समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील बिलासपुर का सृजन करती है, जिसमें कुल 16 पटवारी हल्के होंगे तथा 76 ग्राम होंगे. उक्त तहसील का मुख्यालय बिलासपुर में होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल 2018

क्र. एफ 1-11-2016-सात-शाखा-6.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-11-2016-सात-शाखा-6, दिनांक 2 अप्रैल 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरुण पाण्डेय, प्रमुख सचिव.

Bhopal the 2nd April 2018

ORDER

No. F-1-11-2016-VII-6-533.—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, alter the limits of Chandia Tehsil of District Umaria from the date of publication of this order in the official Gazette by excluding there from Patwari Halka No. 26 and Patwari Halka No. 28 to 42 (total 16 Halkas) of Revenue Circle Bilaspur of Tehsil Chandia and Creates a new Tehsil Bilaspur comprising of Patwari Halka No. 26 and Patwari Halka No. 28 to 42 (total 16 Halkas) of Revenue Circle Bilaspur in which the total Patwari Halkas shall be 16 and Village shall be 76. The headquarter of the said Tehsil shall be at Bilaspur.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PANDEY, Principal Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. एफ-15-04-2018-सात-6-320.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 108 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम नं. (2) में वर्णित मूल राजस्व ग्राम एवं उनके नवीन राजस्व

ग्राम (मजरा) के लिये कॉलम नं. (3) में वर्णित अधिकारियों द्वारा अधिकार अभिलेख तैयार किया जावे:—

तहसील : धार

जिला: धार

क्रमांक	ग्राम का नाम प. ह. नं.	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का नाम
(1)	(2)	(3)
1	01. मूल ग्राम बिल्लौद 02. नवीन ग्राम चन्द्रपुरा 03. प. ह. नं. 65/131.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला धार, मध्यप्रदेश.
2	01. मूल ग्राम दिग्ठान 02. नवीन ग्राम पातलिया 03. प. ह. नं. 67/137.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला धार, मध्यप्रदेश.
3	01. मूल ग्राम दिग्ठान 02. नवीन ग्राम शंकरपुरा 03. प. ह. नं. 67/137.	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला धार, मध्यप्रदेश.
4	01. मूल ग्राम देदला 02. नवीन ग्राम रानीपुरा 03. प. ह. नं. 27/54	अधीक्षक, भू-अभिलेख, जिला धार, मध्यप्रदेश.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. एफ-15-04-2018-सात-6.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-04-2018-सात-6, दिनांक 23 मार्च 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 23rd March 2018

No. F-15-04-2018-VII-Sec.-6.— In exercise of the powers vested under Section 108 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 the State Government directs that a record of rights shall be prepared for the villages mentioned in column (2) of the Schedule below by the Officer mentioned in column (3) thereof:—

Tahsil : Dhar

District : Dhar

Serial No.	Name of village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	1. Original Village-Billod 2. New Village-Chandrapura 3. P. C. No. 65/131.	Superintendent of Land Records, District-Dhar.
2	1. Original Village-Digthan 2. New Village-Patliya 3. P. C. No. 67/137.	Superintendent of Land Records, District-Dhar.
3	1. Original Village-Digthan 2. New Village-Shankarpura 3. P. C. No. 67/137.	Superintendent of Land Records, District-Dhar.
4	1. Original Village-Dedla 2. New Village-Ranipura 3. P. C. No. 27/54.	Superintendent of Land Records, District-Dhar.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ANURAG SAXSENA, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 23 मार्च 2018

सूचना

क्र. एफ. 1-14-2017-सात-6-322.—मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) के प्रतिबंध में निहित उपबंध के अनुसरण में इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य शासन, उज्जैन जिले में माकडौन तहसील के पुनर्गठन करने हेतु निम्न अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेख किये गये अनुसार वर्तमान जिला उज्जैन की सीमाओं को परिवर्तित करने, कॉलम (2) में दर्शाई तहसील को कॉलम (3) में दर्शाये उसके नाम के मुख्यालय में उसकी स्थापना रखने तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (6) में उल्लेखित किये अनुसार तहसील की सीमाएं निर्धारित करने का प्रस्ताव करता है।

2. "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशन होने के दिनांक से 60 दिन समाप्त होने पर प्रस्ताव पर विचार किया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि की समाप्ति के पूर्व प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को लिखित रूप में प्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

क्र.	प्रस्तावित तहसील	मुख्यालय	वर्तमान तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	माकडौन	माकडौन	तराना	नवीन प्रस्तावित तहसील माकडौन में वर्तमान तहसील तराना पटवारी हल्का नं. 1 से 48 तक व 52 से 54 तक कुल हल्कों की संख्या 51 कुल ग्राम 102 अपवर्जित किये जाकर प्रस्तावित तहसील में सम्मिलित होंगे।	पूर्व में—तहसील मोमन बडोदिया व तहसील शाजापुर जिला उज्जैन. पश्चिम में—तहसील महिदपुर व घट्टिया जिला उज्जैन उत्तर में—तहसील आगर जिला उज्जैन. दक्षिण में—तहसील तराना जिला उज्जैन.
2	तराना (शेष तहसील).	तराना	तराना	वर्तमान तहसील तराना में प्रस्तावित तहसील माकडौन के अपवर्जन उपरान्त पटवारी हल्के 60 पटवारी हल्का नं. 49 से 51 व 55 के 114 ग्राम होंगे।	पूर्व में—तहसील शाजापुर जिला उज्जैन पश्चिम में—तहसील घट्टिया व तहसील देवास जिला उज्जैन. उत्तर में—माकडौन जिला उज्जैन दक्षिण में—तहसील देवास व टोक खुर्द जिला उज्जैन.

3. प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुराग सक्सेना, उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल, दिनांक 16/20 मार्च 2018

क्र. 08 अ-82-17-18-2752

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	बिजासनी	22.382	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)	बिजासनी लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना

अनुसूची - 2-
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	राधेश्याम व. नान्देश्वरराव, उषा बेवा नान्देश्वरराव, किरण, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भू-स्वामी	73/12	0.332	0.170
2	लक्ष्मणराव व. गोपालराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी	73/13	0.198	0.073
3	विजय कुमार व. गोपालराव, जाति मराठा, सा. मांडवी, भूमि-स्वामी	73/11	0.337	0.093
4	भीलू व. राधे, बसन्ती, बटनी, मीरा पिता राधे, सुमती बेवा राधे मेहरा, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	72	2.554	0.202
5	प्रमोद व. पंजाबराव, संगीता, गीता, सरिता वि. पंजाबराव, लीलाबाई बे. पंजाबराव, श्रीधरराव व. खुशरंगराव, विनोद व. त्रम्बकराव, बुल्लो, भूरी पि. त्रम्बकराव ना.बा. वली मां कला ना.बा. वली मां अलका बेवा केसोराव, जाति मराठा, पता सा. मांडवी	60	0.737	0.737
		63	5.253	4.848
		58	11.097	4.523
6	गुणवन्तराव व. कमलाकर राव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भू-स्वामी	62	0.146	0.146
7	बाबाराव पिता शंकरराव, जाति मराठा, पता निवासी मांडवी, भूमि-स्वामी	12	3.553	0.615
8	महादेव, सहादेव पिता विठ्ठलराव, चिन्धी, चन्द्रकला पिता विठ्ठलराव, सरस्वती पिता गेंदराव, पता सा. मांडवी, भूमि-स्वामी	40	6.232	0.243

9	माखनलाल व. आत्माराम, जाति किराड़, पता निवासी मांडवी, भू-स्वामी	41/1	0.118	0.057
10	श्रीराम व. आत्माराम, जाति किराड़, पता सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/2	0.115	0.081
		59/2	0.132	0.132
11	नारायण व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी	41/3	0.115	0.115
		59/3	0.132	0.132
12	मिश्रीलाल व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/4	0.115	0.093
		41/7	0.495	0.024
		59/4	0.132	0.132
13	हरिराम व. आत्माराम, सुन्दर बेवा आत्माराम, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/5	0.115	0.093
		59/5	0.132	0.132
14	पूर्णा पिता गिरधर, जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी	41/6	0.526	0.485
		59/6	0.360	0.360
15	पूरन, टुकड़ु, नामदेव पिता श्यामलाल, भूरीबाई, छोटीबाई पिता श्यामलाल, सा. मांडवी, अशोक, सुरेश, रमेश, मुन्ना पिता सरवन, सा. मांडवी, ओमकार, जगदीश व. दौलत, कमल पिता दौलत, जाति किराड़, सा. मांडवी	197	8.692	6.038
		195	5.686	0.073
16	विजय व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/1	1.709	0.437
17	धनराज, भरतलाल, लखनलाल व. परसु, कलसिया बेवा परसु, सुन्दर पिता परसु, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/2	1.326	0.570
18	दशरथ, दीपचंद, प्रेमचंद व. तुरसी, तुलसिया बेवा तुरसी, शान्ता, द्वारका, नवला, जयवन्ती, सया पिता तुरसी जाति किराड़, सा. मांडवी, भू-स्वामी	198/3	1.357	0.725
19	चेपा, अर्जुन व. कली, कला, सरस्वती, सोमती पिता कली, जाति किराड़, पता निवासी ग्राम भू-स्वामी	198/4	2.203	0.529
20	ओमप्रकाश व. सुखदेव, जाति किराड़, सा. मांडवी	198/16	1.708	0.524
	कुल योग :-	29	55.607	22.382

1- चूंकि बिजासनी लघू(स्टोरेज) जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 14 अ-82-17-18-2755

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	खोदरी	7.048	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)	खोदरी लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	4	5	8
1	धनराज, संजय व० पंढरी जाति गाडरी सा० देह	193	2.691	2.156
2	कमला बेवा मोमन, गोपाल, रामराव,दिलीप, व० मोमन, दुर्गा, ध्रुवती, पिता मोमन, मालती बेवा रामप्रसाद, रोहित, मोहित, ना०बा० व० रामप्रसाद, वली मां मालती, जाति गाडरी सा० देहगुड	192	3.864	0.526
3	कैलाश, प्रहलाद व० दीपचंद जाति गाडरी सा० देहगुड	194	2.190	1.907
4	हेमंत व० नारायण जाति गाडरी सा० देहगुड	195	1.154	0.741
5	देशवंत व० नारायण जाति गाडरी सा० देहगुड	196	1.155	0.787
6	करमचंद व० बोब्या जाति लोहार सा० देहगुड	198	0.445	0.445
7	किशोरी , हेमराज, धनराज, मेघराज, चन्द्रकिशोर, ओमप्रकाश, कपिलमुनी व० सरजेराव, रेवन्ती, मेहकावती पिता सरजेराव जाति किराड सा० देहगुड	199	1.468	0.486
	कुल योग :-	07	12.697	7.048

- 1- चूंकि खोदरी लघु(स्टोरेज) जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 07 अ-82-17-18-2756

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	पान्डोल	19.223	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)	उमरी पान्डोल लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	4	5	8
1	बेहना जौ. सहादेव, जाति चम्हार, पता निवासी ग्राम, भू-स्वामी	46	1.113	0.324
2	ज्ञानदेव व. सहादेव, जाति चम्हार, पता निवासी सातनरे, भू-स्वामी	44	0.930	0.526

3	सैवन्ती जौ. पाण्डु, विनोद, निलेश दोनों ना. बा. वली मां सैवन्ती जौ. पाण्डु गोण्ड, ग्राम भू-स्वामी	45	1.530	1.530
		35	0.931	0.931
4	सुरेश, पिन्दु व. भजन, जाति तेली, पता सा. देह. भू-स्वामी	43/1	0.809	0.648
		43/2	0.486	0.365
5	मुन्नीबाई जौ. फुल्लु, जाति तेली, पता सा. देह. भू-स्वामी	42/2	1.859	1.139
6	चेतन ना.बा.व. सन्तोष वली मां गीताबाई जौ. संतोष, जाति तेली, पता नि. ग्राम भू-स्वामी	41/1	0.416	0.400
7	गीताबाई जौ. संतोष, जाति तेली, पता निवासी ग्राम, भूमि स्वामी	41/2	1.000	1.000
		40/2	0.204	0.200
8	मुकेश, चिन्दु व. फुल्लु, जाति तेली, पता नि. ग्राम, भूमि स्वामी	39	1.173	0.926
9	फुल्लु व. बंशी, जाति तेली, ग्राम भू-स्वामी	42/1	2.046	0.833
10	जगन व. बिन्नी, जाति गोंड, पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	95/1	0.445	0.145
		32/3	0.668	0.125
11	छन्नु व. जमनु, जाति गोंड, पता निवासी ग्राम, भू-स्वामी	32/7	0.667	0.075
12	भंगी व. गेंदलाल, जाति गोंड, ग्राम, भू-स्वामी	33	1.914	0.911
		36/1	0.500	0.500
13	जुग्गी व. गेंदलाल, जाति गोंड, सा. देह	36/2	2.000	1.151
14	रंगी व. गेंदलाल, जाति गोंड, सा. देह	36/3	2.000	2.000
15	रंजु बेवा गेंदलाल, जाति गोंड, साकिन देह	36/4	0.482	0.482
16	मानिक व. फत्तु जाति गोंड, पता नि. ग्राम, भू-स्वामी	37	1.134	1.134
		25/1	1.013	0.121
17	महादेव, बलीराम, संतोष व. रामजी गोंड, पता सा. देह, भू-स्वामी	21	4.209	2.774
18	फुलचंद व. चुन्नीलाल, जाति तेली, पता निवासी सातनेर, भू-स्वामी	17/1	0.405	0.198
19	धर्मेन्द्र व. किशोरीलाल, जाति कलार, पता नि. सातनेर	20/1	0.220	0.220
20	मुकेश कुमार ना.बा. व. फुल्लु वली पिता फुल्लु व. बंशी, जाति तेली, ग्राम, भू-स्वामी	40/1	0.565	0.565
कुल योग :-		26	28.719	19.223

1- चूंकि उमरी-पान्डोल लघु(स्टोरेज) जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 15 अ-82-17-18-2757

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	देहगुड़	11.039	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)	खोदरी लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जित रकबा हे० में
1	2	4	5	8
1	रतन वल्द अमरु किराड़, सा. देह	2	0.202	0.202
		6	1.204	0.512
		19	0.718	0.718
		21	0.231	0.113
2	सुदामा व. लखन किराड़, सा. देह	3	0.288	0.288
		18	0.620	0.620
3	सुखदेव, बलदेव व. नामदेव, रूपदेव, श्यामदेव, रामदयाल व. घुड़कु गाडरी, सा.देह	4	1.259	1.259

4	ओझू व. शिवलाल कोरकू सा. देह	5	0.291	0.291
5	मिट्ठन जौ. रतन किराड़, सा. देह	7	0.652	0.652
		20	0.405	0.405
6	इट्ठोल व. श्रीराम किराड़, सा. देह	8	1.621	1.621
7	तोताराम व. श्रीराम किराड़, सा. देह	10	1.619	1.271
8	भूदेव व. रोशन, गंगोत्री, मुन्नी, गीता, कनक, इंदिरा, मैना पिता रोशन किराड़, सा. देह	12	0.182	0.182
		14	0.105	0.105
		32	0.445	0.445
9	रतन, लखन, बलदेव, मिश्री व. अमरू, रामकली, लीला पि. अमरू किराड़, सा. देह	15	0.105	0.105
10	बलदेव व. अमरू, सरस्वती बे. अमरू किराड़, सा. देह	16	0.241	0.241
11	मिश्री व. अमरू, सरस्वती बेवा अमरू किराड़, सा. देह	17	0.561	0.561
		33	0.607	0.291
		86	0.045	0.045
12	सुरेश, सुभाष व. बलदेव किराड़, सा. देह	23	1.416	0.145
13	लखन व. अमरू किराड़, सा. देह	27	0.276	0.276
		31	0.809	0.641
14	अनिल कुमार व. रामभजन किराड़, सा. देह	43	0.202	0.032
15	शंकरदयाल व. अमरचंद किराड़, सा. देह	42	2.614	0.018
कुल योग :-		25	16.714	11.039

1- चूंकि खोदरी लघू (स्टोरेज) जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 01 अ-82-17-18-2806

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	आठनेर	जूनावानी	7.791	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल (म०प्र०)	जूनावानी लघु (स्टोरेज) जलाशय योजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

स० क०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सुन्दो बेवा मिलापसिंग, राजू, रामकिशोर, किशोरी, अशोक, चन्द्रकिशोर व० मिलापसिंग जाति गोंड सा० देह	64/1 60	0.815 0.117	0.251 0.016
2	श्री दिनेश व० सरबसिंग जाति गायकी सा० देह	64/2 64/5	0.102 0.306	0.102 0.306
3	रमेश व० सरबसिंग जाति गायकी सा देह	64/3	0.102	0.102
4	तिलक व० सरबसिंग जाति गायकी सा देह	64/4	0.306	0.306
5	गजानंद व० सीताराम जाति माली निवासी माण्डी सा० देह	65 91	0.259 0.324	0.259 0.324
6	सोमती जौजे सुकू जाति किराड निवासी माण्डवी	90/1	0.320	0.320
7	भददूलाल व तिलक जाति किराड निवासी माण्डवी	90/2	0.247	0.247
8	मल्लू, टिल्लू व० अन्छराम, सा देह	200	6.200	0.705
9	गुरुदेव, बलदेव, सदाराम, दीनदयाल, व० अमरचंद, रामरती, सुशीला पिता अमरचंद जाति किराड निवासी माण्डवी	205 87	0.457 0.781	0.457 0.781

10	सरला जौजे संतोष जाति धोबी सा0देह	88	0.615	0.615
11	बुद्ध पुत्र गंगू जाति गोंड सा0देह	72/3	2.023	1.003
12	संतोष, गुणवन्ता, व0 श्यामा, शांता पिता श्यामा जाति धोबी सा देह	67	2.173	1.997
योग			15.147	7.791

1- चूंकि जूनावानी लघु(स्टोरेज) जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

बैतूल, दिनांक 23 मार्च 2018

क्र. 07 अ-82-17-18-2944

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	बैतूल	रौंधा	64.442	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म0प्र0)	नागझिरी लघु जलाशय योजना

अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	मिटठू साहेबराव कला पिता झिंगू कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी	297/1	0.983	0.983
		297/5	0.703	0.703
		380/1	1.235	0.100
		380/3	0.882	0.021
2	भागी बेवा नत्थ्या अजाबराव संतोष रामा श्यामराव व. नत्थ्या कुन्बी सा. जावरा	297/2	1.133	1.133
		297/3	0.525	0.525
3	भागी बेवा नत्थ्या अजाबराव संतोष रामा श्यामराव व. नत्थ्या शंकर, दादूराम केशोराव पिता नारायण मैना पुत्री नारायण कुन्बी सा. जावरा	299	2.678	2.678
4	हरिराव पिता झिंगू कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी	297/4	0.562	0.562
		380/2	0.706	0.024
5	देवी, गोलू व. महादेव कातू गीता पिता महादेव कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी	297/6	0.328	0.328
		297/7	0.234	0.234
		380/4	0.412	0.024
		380/5	0.294	0.028
6	परसराम कलाबाई पिता बाबूराव भागी बेवा नत्थ्या अजाबराव संतोष रामा श्यामराव व. नत्थ्या शंकर, दादूराम केशोराव पिता नारायण मैना पुत्री नारायण कुन्बी सा. जावरा	296	2.209	2.209
		300	2.084	2.084
		379	4.428	1.870
7	मुंगाजी पिता लाहनू कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी	295/1	1.420	1.420
		301/1	0.504	0.504
		378/1	3.199	3.199
8	दौलतराव पिता आनंदराव कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी	295/2	0.860	0.860
		301/2	0.253	0.253
		378/2	1.599	1.599
9	उदाराम पिता आनंदराव कुन्बी सा. जावरा भूमिस्वामी	295/3	0.860	0.860
		301/3	0.252	0.252
		378/3	1.600	0.950
10	सुन्दर व. ओझू रैना बेवा बाबूलाल लीला बेवा फुलचंद सूर्यवंती हीरावंती हसीना पुत्री फुलचंद छूटटन साहबलाल सायबू पिता बाबूलाल फुलको विमला इमला पुत्री बाबूलाल गोड सा. देह	303	0.117	0.117
		292	0.967	0.967

11	दसरू मसरू पिता नजरू गोड सा. देह भूमिस्वामी	358	0.364	0.364
		357	0.405	0.405
		356/2	0.581	0.581
		293	1.007	1.007
		29/1	1.459	1.459
		304	0.170	0.170
12	सुकमता बेवा बाबूराव फगनू जीवनलाल व. बाबूराव कलवंती पुत्री बाबूराव बुन्दिया पुत्री सकडू राघोली बेवा फगनलाल अरुण सीता दुर्गा पिता फगनलाल कलवंती पुत्री बाबूराव गोड सा. देह	294	1.060	1.060
		305	0.186	0.186
13	वंदना जौ भीमराव गोड सा.देह	291	1.505	1.505
14	रमकी पुत्री नारबा संतरी बेवा बारकू शिवरती रुखमी व. कुंजी समोला बेवा लाखू गोनाजी व. लाखू रुन्दा बेवा सोनाजी गुडडू उर्फ मुन्ना पिता सोनाजी परमिला पुत्री सोनाजी पुनाजी गोडू जोन्दू समिया झमिया पिता मंसू सूरज राजेश सुमरती सुखवंती बुधिया सागा पिता गेन्दू गोड सा. देह	290	1.975	1.975
15	जौल्ली व. रामसू गोड सा.देह	29/2	0.350	0.350
16	रोन्या व. जौल्ली गोड सा.देह	371	1.441	0.874
17	झीमा व. धुन्धा गोड सा.देह	29/3	0.250	0.250
18	बालाराम आसिफ व. धानू ममता पिता धानू गोड सा. देह	29/4	0.250	0.250
		29/6	0.392	0.392
19	मेना झीमा पुत्री धुन्धा बालाराम आसिफ व. धानू ममता पिता धानू गोड सा.देह	29/5	0.250	0.250
		372/2	1.134	0.160
20	केजा व. कान्हा गोड सा.देह	28/1	0.927	0.927
21	बाकू व. हीरासिंग गोड सा.देह	28/2	0.405	0.405
22	कारू माटू कल्लू व. झून्नु रमिया बेवा झून्नु बबीता पिता झून्नु गोड सा. देह	28/3	0.752	0.752
23	झिंगा व. जंगल गोड सा.देह	28/4	0.753	0.753
24	रुक्मणी बेवा जंगी गोड सा. देह	28/5	0.752	0.752
25	धज्जी व. मिन्ना फुलको पुत्री मिन्ना गोड सा. देह	28/6	0.464	0.092
26	चैतू पिता मिन्ना सुनील रबूलाल पिता बहादूर भगवंती सुकान्ती ममता ललीता रबिता लल्लू पिता बहादार गोड सा.देह	28/7	0.463	0.030
27	भादा पिता जौल्ली गोड सा.देह	173	0.745	0.745
		373/9	0.520	0.340
		373/7	0.340	0.520

28	रामबाई बेवा गिरधारी नखरू रामाधार गणेश डेगरी व. गिरधारी मीरा पुत्री गिरधारी मेहरा सा.देह	172/1	0.370	0.370
29	रामबाई बेवा गिरधारी नखरू रामाधार गणेश डेगरी व. गिरधारी मीरा पुत्री गिरधारी छेदीलाल गोकुल नकूल व. भागूलाल लक्ष्मी अनुसया गुडडो सरस्वती पिता भागूलाल रामकली बेवा भागूलाल मेहरा सा.देह	276	1.449	1.449
30	छेदीलाल गोकुल नकूल व. भागूलाल लक्ष्मी अनुसया गुडडो सरस्वती पिता भागूलाल रामकली बेवा भागूलाल मेहरा सा.देह	172/2	0.371	0.371
31	रामप्रसाद व. कुंवर मेहरा सा.देह	171/1	0.464	0.464
32	छोटे व. फगना गोड सा.देह	170	2.387	1.195
33	साहो बेवा फकीरा रिन्दा मिडते व. फकीरा गोड सा.देह	175/1	0.284	0.284
		275/1	0.086	0.086
34	वक्सू व. झूमर बादल व. बक्सू गोड सा. देह	175/2	0.283	0.283
		275/2	0.141	0.141
35	शेषू पिता मन्नू गोड सा.देह	176/1	0.124	0.124
36	किशोरी पिता मन्नू गोड सा.देह	176/2	0.124	0.124
37	मुन्ना पिता मन्नू गोड सा.देह	176/3	0.124	0.124
38	झमकी बेवा परसू गंगाराम रामा लक्ष्मण व. परसू झमकी जग्गो सरलाल रघोली सगोना इन्द उर्मिला पिता परसू रामकिशोर नंदकिशोर मालती पिता नान्हू युवराज ना.बा. व. परसू गोड सा.देह	278	1.032	1.032
		273	1.088	0.768
		274	0.987	0.987
		277	1.250	1.250
		177	0.526	0.158
39	गोविन्द गेंदू पिता शिवपाल मेहरा सा.देह	310	0.692	0.162
40	मूलाजी व. मंगल गोड सा.देह	306/1	0.284	0.284
41	नहाला व. मंगल गोड सा.देह	306/2	0.335	0.335
42	भूता व. सुकलू रंगो बेवा गिरबलिंग मंगलू शंकर व. गिरबलिंग भूते बेवा भंगी झनकराव राजेश व. भंगी समोती पुत्री सुकलू गोड सा. देह	307	1.441	1.441
43	राजबा व. सोनबा गोड सा.देह	308/1	0.158	0.158
44	रमकलाल व. सुखराम मनको शीलो झनको गुल्लो पिता सुखराम अनिल सुनिल व. मानक पुजा पिता मानक मान्ता बेवा मानक गोड सा. देह	308/2	0.540	0.540
45	बातू व. सोनबा गोड सा.देह	308/3	0.158	0.158

46	हीरालाल व. सोनबा गोड सा.देह	308/4	0.158	0.158
		178/5	0.381	0.281
47	मिटठू पिता सोनबा गोड सा.देह	308/5	0.159	0.159
48	आदित्यराव व. गरीबराव मेहरा सा.देह	356/1	0.580	0.580
49	ज्योत्सना जौ गरीबराव बेन्दूलाल व. भभूत्या मेहरा सा.देह	370	0.065	0.065
50	बुन्दो बेवा लक्खू गोविन्दराव सखा मंगल जंगल नामदेव व. लक्खू भागरती मुन्ना झूना व. लक्खू गुलाब किशोरी नत्थू पिता टिककू रखिया बेवा बकाराम यशवंतराव ज्ञानराव सुरेश व. बकाराम कल्लू व. मकडू बेनी व. जंगली तुकाराम व. पोलसा गोड	381/1	4.469	1.963
51	गेन्दो बेवा गेन्दू गौरीशंकर मन्नुलाल व. गेन्दू मेहरा	288/2	1.600	0.720
52	बेन्दू व. भभूत्या मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	288/3	1.600	0.800
		271/2	0.845	0.600
53	दुल्लो पति हरिराम मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	355/1	1.364	0.62
54	रमकलाल व. सुखराम मनको शीलो इनको गुल्लो पिता सुखराम अनिल सुनिल व. मानक पुजा पिता मानक मान्ता बेवा मानक गोड सा. देह	178/1	1.171	0.390
55	शंकर पिता जौली गोड सा. देह भूमिस्वामी	373/8	0.340	0.340
		373/3	1.720	1.720
56	चंपालाल पिता रूपलाल मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	171/2	0.233	0.233
		355/6	0.277	0.277
		272/2	0.162	0.162
		171/3	0.233	0.233
57	मनोहरी पिता रूपलाल मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	355/3	0.277	0.277
58	चिरौजी पिता रूपलाल मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	355/5	0.270	0.270
		272/4	0.356	0.056

59	गुलाबराव पिता रूपलाल मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	272/1	0.162	0.162
		309	0.202	0.202
60	बारक्या पिता रूपलाल मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	272/3	0.162	0.162
		355/4	0.269	0.269
61	गंगा रोशनी पूनम फुकसीना ना.बा. व. रमेश वलीमां मथूरा बेवा रमेश गोड सा. देह भूमिस्वामी	166/2	0.605	0.050
62	बसंत-पिता छन्नू मेहरा भूमिस्वामी	169/3	0.560	0.080
63	जैनी पुत्री बिन्दू गोड सा.देह भूमिस्वामी	175/3	0.142	0.142
		275/3	0.142	0.142
कुल योग			83.189	64.442

- 1- चूंकि नागझिरी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु पुथक से कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 10 अ-82-17-18-2952

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि सलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	कोयलारी	17.118	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	कोयलारी लघु जलाशय योजना नहर रहित

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र०	भूमिस्वामी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	निर्मला पति वासुदेव जाति कुन्बी सा बासनेरखुर्द	175/7	1.464	1.464
2	दशरथ, राजू, संजू व० नारायण, संगीता ममता पिता नारायण जाति कुन्बी सा० विजयग्राम	175/1	4.859	0.652
3	दयावति पिता चिरोजीलाल जाति कलार सा० देह	171	3.792	0.528
4	श्रीराम व० बाजीराव जाति कुन्बी सा० बासनेरखुर्द	172/3	1.922	1.600
		173/2	3.540	0.775
		173/7	0.605	0.605
5	मारोती पुत्र बाजीराव जाति कुन्बी सा० देह	173/6	4.550	1.290
		173/9	0.600	0.390
6	गोपाल व० बाजीराव जाति कुन्बी सा० देह	173/3	0.600	0.401
7	माधोराव व. बाजीराव जाति कुन्बी सा० देह	172/8	0.465	0.113
		173/4	0.600	0.580
		173/5	0.300	0.009
		173/8	0.600	0.490
8	सोनी उर्फ सुशीला जौजे काल्यासिंह जाति कौरकू सा० देह	179	12.420	2.665
		180		
		181		

9	मारोती व० श्यामराव, मंगरू बेवा श्यामराव, मंगरया बेवा गेंदराव संकू, बेवा चन्दू, दशरथ व० चन्दू, शान्ता पिता चन्दू, बाबू, सूका, चिन्ध्या व० गेंदराम जाति कोरकू सा० देह	177/2	4.047	3.557
10	मंगराय बेवा गेंदराव, सकू बेवा चन्दू, दशरथ पाति चन्दू, शान्ता पिता चन्दू, बाबू, सूका, चिन्ध्या व० गेंदाराव जाति कोरकू सा० देह	175/5	1.821	0.947
11	पार्वती जौजे श्यामलाल जाति कोरकू सा० देह	175/6	0.488	0.387
12	शंकर भूता, कौसू, कौशलया पिता भोम्या, मलाय बेवा काशीराम, कैलाश कला पिता काशीराम जाति कोरकू सा० देह	175/3	0.488	0.383
		175/4	1.963	0.282
योग			45.124	17.118

- 1- चूंकि कोयलारी लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक-से कार्यवाही प्रचलित है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय, अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल के अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

बैतूल, दिनांक 24 मार्च 2018

क्र. 09 अ-82-17-18-मौजा-चिंचड़ा-3008

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित -रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	चिंचड़ा	16.249	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	चिंचड़ा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे०	कुल अर्जित रकबा हे०
1	2	3	4	5
1	आनंदराव, सुशील, सुनील व. बाजेराव बतसिया राधिका, गीता लता पिता बाजेराव पंवार सा.देह भूमिस्वामी	566/1	2.867	1.657
2	मुन्ना, भोपत दवीकुमार व. अमर्या, बुलंका कंखा, मुन्नी चम्पा पिता अमर्या सा. देह भूमिस्वामी	566/2	0.741	0.500
3	अशोक व. गेंदलाल पंवार सा. देह भूमिस्वामी	566/3	1.180	0.680
4	अनिल व. गेंदलाल पंवार सा. देह भूमिस्वामी	566/4	1.687	0.860
5	चंद्रभान, रायभान, श्यामराव व. लोधा सा. देह भूमिस्वामी	564/1	1.807	1.600
		567	0.809	0.809
6	दुर्गाबाई जौ. सीताराम, मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	564/2	2.531	2.031

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
7	नारायण व. गजमल, लखन, रमेश, गोकूल व. बाबू, जैवन्ती बेवा कन्हैया, गजानंद व. कन्हैया, संगीता, अंजना पिता कन्हैया, सुमन पिता बाबू सा. देह भूमि स्वामी	548/1	1.424	0.355
		563/1	1.259	1.259
8	दयाराम, दशरथ, भारत, व. गिरधारी, मीराबाई पिता गिरधारी सा.देह भूमिस्वामी	548/2	1.607	0.250
9	रामदयाल, सुरेश, श्रीराम व. गिरधारी, जाति पंवार सा.देह भूमिस्वामी	563/2	1.469	1.469
10	रामदयाल, सुरेश, व. गिरधारी, जाति पंवार सा.देह भूमिस्वामी	563/3	0.820	0.820
11	श्रीराम व. शंकर, मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	563/4	0.309	0.309
		563/5	0.310	0.310
		548/5	0.362	0.312
		548/6	0.362	0.062
12	हरिराम व. जयराम सा. देह भूमिस्वामी	563/10	0.054	0.054
13	हरिराम व. जयराम सा. देह भूमिस्वामी	548/7	0.362	0.362
		563/6	0.310	0.310
		563/7	0.106	0.106
14	श्रीराम व. गिरधारी सा. देह भूमि स्वामी	563/8	0.489	0.489
15	रेखा बेवा देवीशंकर, पितम व. देवीशंकर, लता, निलम, पिता देवीशंकर पंवार सा.देह भूमिस्वामी	563/9	0.600	0.600
16	रविशंकर व. पन्नालाल सा. देह भूमिस्वामी	548/9	0.600	0.050
17	गौरीशंकर व. पन्नालाल सा. देह भूमिस्वामी	548/8	0.150	0.050

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
18	नेहरू व. सुखलाल, बापूराव, भाऊराव, व. रामचंद्र, कौशल पिता रामचंद्र, लेखराम कैलाश, जगदीश, सीताराम, व. बाबूलाल, निर्मला, रमला पिता बाबूलाल, मंघा बेवा बाबूलाल, सुरेश व. रामप्रसाद, सैवंती, सुखवंती पिता रामप्रसाद सा. देह भूमिस्वामी	550/7	1.458	0.380
19	भारत, सूरत, सूरजू व. सोमजी, सावित्री पिता सोमजी, समिया पिता जिवतू, भूरीबाई बेवा मनिराम, श्रीराम हरिराम व. मनीराम जनार्दन व. कुशन गोंड सा.देह भूमिस्वामी	568/1	7.591	0.200
20	झब्बू व. झामसिंग गोंड सा. देह भूमिस्वामी	568/2	0.365	0.365
योग				16.249

1- चूंकि चिचंडा लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। पृथक से तैयार किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 03 अ-82-2017-18-3009-मौजा रातामाटी

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2,3		4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	रातामाटी	8.685	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल	प्रमुढाना लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे० में	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	देवकी जौ सद्दू गौली सा. देह भूमिस्वामी	419 420	0.376 4.509	0.376 1.850
2	लक्ष्मण, जगन, मदन, नारायण व. किसना जाति गौली सा. देह भूमिस्वामी	421/1 422/1 515/4	7.455	2.500
3	वामनराव व. शंकर गौली सा. देह भूमिस्वामी	421/2 422/2 515/5	2.452	0.550
4	गोहसिंग व. ठुन्नु कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	509/1 510/1	1.708	0.150
5	सुदामासिंग व. आनंदसिंग राजपूत सा. देह भूमिस्वामी	509/2	1.649	0.120
6	बलराम व. नत्थू पवार सा. देह भूमिस्वामी	511	0.469	0.469
7	अकुश व. तुलसीराम, पार्वती वे. तुलसीमेहरा	516/1	1.939	0.150
8	नत्थू व. महेश घुडया चिंधी पुत्री घुडया मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	516/2	1.432	0.200

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
9	लंकेश व. मंहगया, लीला, कला, गुन्ता पि. मंहगया मेहरा	553/1	1.330	0.725
10	दिनेश व. मंहगया, लीला, कला, गुन्ता पि. मंहगया मेहरा	553/2	1.329	0.725
11	अजाबराव व. श्यामराव कुंबी सा. देह भूमिस्वामि	350/1	2.962	0.200
12	जगदीश व. श्यामराव कुंबी सा. देह भूमिस्वामि	350/2	2.963	0.200
13	चिमन व. लालसिंह गौंड	348/1	0.755	0.085
14	भिव्कू, हिम्मत व. लालसिंह, दस्सू पिता लाल सिंह गौंड	348/3	2.265	0.255
15	रज्जूरजमा पिता रायसिंह गौंड	349/3	1.510	0.130
	योग	-	35.103	8.685

1- चूंकि प्रमुढाना लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत समाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 12 अ-82-17-18-3010

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	घोघामा	12.480	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	पूर्णा लघु जलाशय योजना नहर रहित

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)-

क्रमांक	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे०	अर्जन का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सरस्वती जौ दौलतराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	129/3	0.486	0.486
2	जगदीश उर्फ विजय जयप्रकाश पिता दौलतराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	129/2	0.809	0.706
3	नवीन सचिन, व. मानिकराव, जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	129/4	0.810	0.714
4	सचिन व. मानिकराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	129/5	0.510	0.399
		129/1	0.485	0.485
5	दिलीप अशोक, विजय व. जगन्नाथ जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	128/2	0.276	0.276
		126/2	1.147	1.147
6	गुना बेवा सरावन लोकनाथ धनराज, विरेन्द्र, बलदेव, व. सरावन, कमला सकुन, सरोज, रेखा, मंदा बाली, नाबालिक सरावन जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	128/1	0.040	0.040
		126/1	0.525	0.400
7	मालता जौ. टुकडया जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	126/3	0.809	0.809
8	पुन्जी बाई जौ चिन्धु जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	121/4	0.701	0.701
9	दिलीप प्रदीप, पिता केशोराव, जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	121/2	0.108	0.108

10	वासुदेव सुखदेव पिता गोविंदा, अशोक, श्रीनिवास ना.बा. पिता गोविन्दराव मां खुद जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	121/3	1.619	1.00
11	इठोबा पुत्र गणपता जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	122	0.866	0.866
12	भाउराव पुत्र जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	120/1	0.202	0.134
13	दशरथ व. जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	120/2	0.202	0.135
14	सत्यदेव व. जागो जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	120/3	0.203	0.101
15	जयराम व. लक्ष्मण जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	119	1.238	1.200
16	नामदेव पुत्र सीताराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	112/4	0.405	0.390
		113/5	0.809	0.185
17	सयाबाई जौजे डोमाजी जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	112/3	0.543	0.543
18	धरमराज व0 तुकाराम जाति कुन्बी सा देह	112/8	0.248	0.200
19	परसराम पुत्र सीताराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	112/1	0.980	0.220
20	माधोराव पुत्र तुकाराम जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	111/1	1.012	0.205
21	देवराव व. माधोराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	111/3	1.011	0.313
22	हीराबाई जौजे माधोराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	111/2	0.402	0.243
23	विनायकराव पुत्र निम्बा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	110/4	0.235	0.235
24	रामाजी व. निम्बा जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	110/3	1.234	0.234
	कुलयोग :-		16.429	12.480

1- चूंकि पूर्णा लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 04 अ-82-17-18-3011

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	भैरवदेही	आमला	17.911	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म0प्र0)	नांदरा लघु जलाशय योजना नहर रहित

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा हे में	अर्जित रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	सोनकूबाई जौ. गबाजी जाति गौली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/16	1.619	0.589
2	चेतना ना. बा. व. टाटरु वली मां कुद बादरु बाई जौ. टाटरु जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	202/13	0.405	0.405
3	गुनू व. कुन्जीलाल मानिक व. कुन्जीलाल उमेश गणेश व. शेषू कमला बेवा शेषू बाली इन्दिरा मुन्नी पुत्री शेषू जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	202/4 204/3 206/3 207/2 ख. नं. शा. मे	1.604	1.099
4	नत्थू व. पुनू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी भू राजस्व 1.00	204/1 206/1 ख. नं. शा. मे	1.746	1.746
5	बादरु जौ. टाटरु गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	178/9	0.789	0.182
6	कृष्णाराव व. लख्खू जाति कुन्बी पता सा देह भूमि स्वामी	178/4	0.772	0.772
7	अरुण व. मानिकराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	178/12	1.214	1.214

8	तरुण मानिकराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	178/13	1.214	1.214
9	नर्मदा बेवा मानिकराव तरुण अरुण पिता मानिकराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	178/2	1.304	1.304
10	मनिष व. नामदेव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	178/3	0.637	0.403
11	महेन्द व. नामदेव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	178/14	0.638	0.360
12	नामदेव व. बापू जाति गौली सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	178/7	1.000	0.333
13	बुधराव व. लक्खूजी कुन्बी पता गोरेगाव सा. देह भूमि स्वामी	178/10	2.489	0.803
14	पूर्णाबाई बेवा बाबूराव यशोदा नवसू अनुसैया बनू त्रिमला पिता बाबूराव जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी	175/3	0.095	0.019
15	निम्बा नामदेव माधोराव व. सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	177/1 176/6 ख. नं. शा. मे	0.607	0.607
16	मन्नू व. निम्बा जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	177/2 ख 176/3 ख ख. नं. शा. मे	0.663	0.663
		175/1 ख 176/1 ख. नं. शा. मे	0.117	0.117
17	नामदेव निम्बा माधोराव व. सायबू चिनकी सकोता पिता सायबू भुरी बे. सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	205	0.231	0.231
18	पुनू व. निम्बा जाति गौली पता गोरेगाव सा. देह भूमि स्वामी	172/2 177/3 ख. न. शा. मे	0.663	0.663
		176/3 177/5 ख. न. शा. मे	0.644	0.644
19	निम्बा, नामदेव, श्यामराव, माधोराव, सायबू नाबा. वली पिता सायबू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	175/1 176/1 ख. न. शा. मे	0.115	0.043
		176/4 176/2 175/2 ख. न. शा. मे	0.445	0.310
20	काशीबाई जौजे भाना जाति गौली पता सा गोरेगांव भूमि स्वामि	178/15	0.607	0.607
21	सुनिता जौजे रमेश जाति गाडरी सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	204/4	0.405	0.405

22	गुणवन्तराव व. कुन्जीलाल जाति गाडरी पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	202/2 204/4 206/4 207/3 ख.न.शा.मे	0.739	0.429
		206/5 202/5 204/5 207/4 ख.न.शा.मे	0.122	0.122
		204/6 206/7 207/5 ख.न.शा.मे	0.631	0.615
23	दीनू देवेन्द्र सुभाष व. गुणवन्तराव जाति गाडरी पता गोरेगांव सा. देह भूमि स्वामी	202/8 204/7 206/8 207/6 ख.न.शा.मे	0.505	0.505
		202/7	0.283	0.283
24	गुनू व. कुन्जीलाल जाति गाडरी पता सा देह भूमि स्वामी गोरेगांव	202/6	2.186	0.790
25	निम्बा व. सधू जाति गौली पता सा. गोरेगांव भूमि स्वामी	178/8	0.121	0.010
26	यशोदा उर्फ यशु पिता बाबूराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	175/4	0.100	0.100
		176/5	0.315	0.315
27	जगन्नाथ व. विश्वनाथ जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	202/9 203/2 ख.न.शा.मे	2.000	0.009
कुल योग			25.630	17.911

- 1- चूंकि नांदरा लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 05अ-82-17-18-3012

चूँकि, समुचित, सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	गोरेगांव	6.294	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	नांदरा लघु जलाशय योजना नहर रहित

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र	भूमि स्वामी का नाम	खसरा क्रमांक -	कुल रकबा हे० में	अर्जित भूमि का रकबा हे० में
1	2	3	4	5
1	गन्नु व. राघो जाति गौली पता सा. देह भूमि स्वामी	224/2	0.578	0.102
2	शंकर व. राघो जाति गौली पता सा. देह भूमि स्वामी	224/1	0.579	0.165
3	रामप्रसाद व. सुडक्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	225/1	0.365	0.010
		225/2	0.444	0.173
		225/3	0.412	0.011
4	सरजेराव व. मल्लू ईटा बेवा पुंज्या काशीनाथ व. पुंज्या मीरू गीता पिता पुंज्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	230/2	6.070	3.270
5	भोलाराम व. तुलसीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी ;स्पील	230/3	1.430	0.324
6	गंगाराम व. तुलसीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	230/15	1.430	1.030
7	सीताराम व. तुलसीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	230/16	1.430	1.007
8	कौतिका बेवा डेबा, मानिकराव वामन अजाबराव व. डेबा उर्मिला गंगू अजीरा पिता डेबा जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	230/4	1.155	0.202
	कुल योग		13.893	6.294

क्र. 11अ-82-2017-18-मौजा सरई-3013

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में दी गई भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या प्रतीत होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उक्त अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
23		4	5	6
10) मुलताई	सरई	7.250	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पाराखाती लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	गुलाब पंजाब संतोष व० शंकर विमला पिता शंकर पवार सा० देह भूमिस्वामी.	82/2	0.508	0.081
2	शांति बे० शंकर मनोज सोनू व० शंकर कमल पिता शंकर चैत्या पैक्या व० दसरया सा० दुनावा भू-स्वामी	84/3	1.619	0.121
3	झनकलाल व० भादू सुदिया पिता भादू गोंड सा. देह भू-स्वामी	90/5	0.777	0.081
4	झनक व० भादू गोंड सा. देह भू-स्वामी	96	2.598	2.598
5	सन्नो बे० संतराम गोंड सा. देह भू-स्वामी	97/5	0.809	0.701
6	अबदुल रहमान गनी अब्दुल नबी व० मुन्सी सा. जमरापानी भू-स्वामी	99	0.053	0.053
7	लुधिया बे० फकिरिया मुन्ना दर्शन परसू व० फकिरिया नान्ही पिता फकिरिया दुर्गा	100/1	0.101	0.101
	बे० गुलाब राजकुमार व० गुलाब माधुरी कयादू पिता गुलाब पवार सा. मूसाखापा भू-स्वामी	100/7	0.041	0.041

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
8	रामू लखन जगन व0 बाबूलाल रिच्छो बे0 बाबूलाल चम्पा परबत पिता बाबूलाल पंवार सा0 मूसाखापा भू-स्वामी	100/6	0.375	0.274
9	साहेबलाल व0 बहया पंवार सा. मूसाखापा भू-स्वामी	100/8	0.650	0.162
10	सुखलाल रामलाल रमजान ओझा व0 बेनी रामकली जैवन्ती सैवन्ती पिता बेनी सा. देह भू-स्वामी	104/1	1.075	1.075
11	रामू लखन जगन व0 बाबूलाल पंवार सा. देह भू-स्वामी	104/4	1.617	0.445
12	देवनाबाई जौजे परसू पवार सा0 देह भूमिस्वामी	104/5	3.238	0.506
13	मैना जौजे धन्नु सा0 देह भूमिस्वामी	104/6	1.214	0.364
14	उन्नी व0 दमडू गोंड सा. देह भू-स्वामी	104/7	1.214	0.202
15	रुजुम पिरनू व0 मुंगसी रुजना बजमा पिता मुंगसी सा0 देह भूमिस्वामी	104/8	1.214	0.243
16	कचरू व0 शिवलाल कलार सा. खल्ला भू-स्वामी	151/1	2.542	0.202
	कुल योग	17	19.645	7.250

1- चूंकि पाराखाती लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 18अ-82-2017-18-मौजा डहुआ-3014

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		23	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	डहुआ	2.123	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	महिलावाड़ी जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.	
		2	3	4	5
1	कन्हैया, पतिराम मधु, फुन्दन वल्द इठठू नन्हा पिता इठठू रुखमई बेवा ईठठ पंवार सा. देह भूमि स्वामी	67/1	4.090	0.068	
2	बल्लू वल्द सरावन सा. देह भूमि स्वामी	67/3	1.000	0.028	
3	गल्लू वल्द उमराव पंवार सा. रोड़ा भूमि स्वामी	67/4	1.363	0.045	
4	सम्मा वल्द रघू पंवार सा. देह भूमिस्वामी	67/5	1.363	0.020	
5	बातू वल्द काशीराम सा.देह भूमि स्वामी	68/1	3.097	0.383	
6	उमेश वल्द केशोराव पंवार सा. देह भूमिस्वामी	68/2	0.133	0.081	
		68/3	0.500	0.021	

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा है.
1	2	3	4	5
7	रामजी लक्ष्मण व. तेजी, दसिया पिता तेजी तुलसिया बेवा बिरज पंवार सा. देह भूमिस्वामी	69	6.770	0.607
8	नत्थू वल्द परसू पंवार सा. देह	70	7.026	0.607
9	नन्दकिशोर, जगदीश वल्द सायबू पंवार सा. देह	338	2.930	0.162
		343	6.880	0.101
	कुल योग			2.123

1- चूंकि महिलावाड़ी लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 19अ-82-2017-18-मौजा खंबारा-3015

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	खंबारा	13.870	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	खंबारा लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
1	भागरती रम्फूला पिता चेतू बुल्गो बेवा चेतू, चैती पिता अमरसिंग गोंड सा.देह भूमिस्वामी	278/1	3.640	1.740
2	पंचतराव वल्द झुम्मक, झनुरा पिता झुम्मक हिरोती बेवा झुम्मक गोंड सा. देह भूमिस्वामी	278/2	3.641	1.990
3	अमरलाल, अमृतलाल वल्द रावजी, झमोता पिता रावजी गंगासिंग गंगाराम वल्द बापूलाल अनीता मन्तो, पिता बापूलाल सा.देह भूमिस्वामी	277	4.994	2.100
4	भूता वल्द श्यामजी सा.देह भूमिस्वामी	276	1.538	0.730
5	श्यामजी वल्द मानू रसिया, पिता मानू गोंड सा. देह भूमिस्वामी	274	1.283	0.320
6	कौशल जौ. हरि, प्रमिला जौ. भूरा पंवार सा.देह भूमिस्वामी	273	3.326	0.450
7	इनलेक्ट इन्फास्टेकचर्स आफिस फ्लेट प. 201 सप्तश्री अपार्टमेंट छत्रपति नगर रिंग रोड नागपुर महाराष्ट्र भूमिस्वामी	214/1	9.009	0.070
8	संतोष, अंकुश वल्द लखन पंवार सा.देह भूमि स्वामी	206/2	1.214	0.130

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित
1	2	3	4	5
9	तुलसीराम, राजेराम परसराम पिता	204	5.500	0.200
	घासीराम कौशल निर्मला सुमित्रा प्रमिला पिता घासीराम पंवार सा.देह भूमिस्वामी	205	0.162	0.162
10	मधु वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	282/5	0.179	0.179
		280/5	0.487	0.090
11	कृष्णा वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	282/4	0.179	0.179
		280/4	0.487	0.120
12	शिवनाथ वल्द बाबू मेहरा सा.देह भूमिस्वामी	282/3	0.178	0.178
		280/3	0.487	0.125
13	श्री वल्द बाबू मेहरा सा. देह भूमिस्वामी	282/1	0.178	0.178
		280/1	0.487	0.125
14	कचराबाई पिता बाबू बेला बेवा बातू, मूसिया पति तुकाराम, शांती बेवा भादू सुशिला पति बिरजलाल सुशिला पति श्री महरा सा. देह भूमिस्वामी	280/2	1.949	1.480
		282/2	0.714	0.714
15	रमोती बेवा हिराजी भागरती पिता हिराजी झनको बेवा राखी रमनी राजाराम वल्द राखी रन्तू रत्ना पिता राखी गोंड सा. देह भूमिस्वामी	284	5.204	2.560
16	भाउराव वल्द दसरू गोंड सा. देह भूमिस्वामी	203/2	1.800	0.050
	योग		46.636	13.870

1- चूंकि खंबारा लघु जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 10अ-82-2017-18-मौजा मुसाखापा-3016

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	मुसाखापा	4.648	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई	पाराखाती लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	कली वल्द भूरा दसिया जौ.बिरजू पंवार सा.देह भूमिस्वामी	158	3.469	0.607
2	गीता जौ. इमरत पंवार सा. देह भूमिस्वामी	170/3	1.379	0.021
3	मुन्ना वल्द फकिरिया पंवार सा. देह	170/5	0.809	0.121
4	दसिया जौ. बिरजू, हरी, आनंद, भोजरा वल्द कली, कमला पिता कली, चैती बेवा कली पंकज पवन वल्द हिराजी पंवार सा. नरसला भूमि स्वामी,	174	0.053	0.053
5	लुडका बेवा फकिरिया, राजकुमार वल्द गुलाब माधुरी कयाधु पिता गुलाब, दुर्गा बेवा गुलाब मुन्ना	175/1	0.850	0.021
	दर्शन परसू वल्द फकिरिया, नानी पिता फकिरिया पंवार सा.देह भूमि स्वामी	190/1	0.048	0.048
6	शारदा पति धर्मन्द्र पंवार सा. देह भूमि स्वामी	185	0.724	0.021
		186	0.692	0.490
		187	0.170	0.170
		189	0.162	0.021

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
7	साहेबलाल वल्द बहया पंवार सा. देह	190/2	0.049	0.049
8	रिन्चो बेवा बाबूलाल, रामू लखन, जगन वल्द बाबूलाल, चम्पा पर्वत पिता बाबूलाल सा.देह भूमि स्वामी	190/3	0.049	0.049
9	सुधाकर वल्द भैयालाल पंवार सा. देह	192/1	0.025	0.025
		193/1	0.182	0.182
10	प्रेमलाल वल्द भया पंवार सा. देह भूमि स्वामी,	192/2	0.025	0.025
		193/2	0.182	0.182
11	इमरत वल्द भैयालाल पंवार सा. देह भूमि स्वामी	192/3	0.023	0.023
		193/3	0.391	0.391
12	हरि वल्द कलीराम पंवार सा.देह भूमि स्वामी	195/1	0.720	0.720
		195/6	0.105	0.105
13	भोजराज वल्द कलीराम पंवार सा. देह भूमिस्वामी	195/2	0.542	0.542
		195/4	0.125	0.125
14	आनंदराव वल्द कलीराम पंवार सा. देह भूमि स्वामी	195/3	0.531	0.531
		195/5	0.126	0.126
	योग		11.431	4.648

1- चूंकि पाराखाती जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 09अ-82-17-18-3018

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	देवलवाड़ा	65.630	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	पूर्णा लघु जलाशय योजना नहर रहित

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हे० में	अर्जन का रकबा हे० में
1	संजू व. देवराव जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	85/1	0.404	0.404
		85/2	0.765	0.660
2	बिरजलाल व. अमरचंद जाति किराडा सा. देह भूमिस्वामी	85/3	0.607	0.580
3	सुरेश व. अमरचंद जाति किराड सा.देह भूमिस्वामी	85/4	0.607	0.587
4	गोदावरी पुत्री गोमर जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	84	2.411	2.411
		82/1	0.579	0.579
		101	2.177	1.600
5	शांता बे. पुनू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	83/1	1.619	1.619
6	लक्ष्मण सदानंद विजय व. पुनू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	82/2	0.825	0.825
7	सवानन्द व पुनू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	93/1	5.312	3.450
8	लक्ष्मण व. पुनू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	93/2	5.312	5.312
		93/3	5.312	5.312

9	जयवन्ती बे. पुनू विजय लक्ष्मण सदानंद व. पुनू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	94	6.070	1.076
10	वामनराव व. केशोराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	95/1	0.129	0.129
		96/1	0.756	0.756
11	महादेव व. तुका भूलो पिता तुका जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	95/2	0.129	0.129
		96/2	0.378	0.378
		99/2	0.568	0.007
12	गज्जू पिता तुका, भुलो पिता तुका जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	95/3	0.130	0.130
		96/4	0.378	0.378
		99/4	0.568	0.568
13	शंकर व. किसना जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	96/3	0.916	0.916
		99/3	1.136	1.136
		75/1	0.202	0.153
		54/2	0.181	0.181
		75/2	0.202	0.202
14	पंजाबराव व. किसना जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	96/5	0.183	0.183
		99/5	0.227	0.227
		75/14	0.202	0.202
		75/15	0.202	0.202
15	साधुराम व. किसना जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	96/6	0.183	0.183
		99/6	0.227	0.227
		75/10	0.202	0.202
16	रुन्ध्या व. किसना जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	96/7	0.183	0.183
		99/7	0.227	0.200
		75/12	0.203	0.203
		75/13	0.203	0.203
17	चिन्ध्या व. किसना कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	96/8	0.184	0.184
		99/8	0.227	0.037
18	मारोती व. इठोबा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	97/6	0.405	0.405
		97/11	0.500	0.500
		103	2.468	0.160
19	देवराव उर्फ भगवन्तराव इठोबा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	97/7	0.405	0.405
		97/12	0.500	0.500
20	पंढरी व. इठोबा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	97/1	1.200	0.783
		97/8	0.405	0.405
		97/13	0.500	0.500
21	रुखमा बे. इठोबा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	97/9	0.612	0.612
		97/10	0.500	0.500
		97/5	0.405	0.405

22	मुरली व. नारायण जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	74/2	1.214	0.202
23	श्रीधर व. नारायण जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	74/3	1.214	0.718
24	अशोक व. नारायण जाति जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	74/4	1.214	0.809
25	राजेन्द्र व. नारायण जाति जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	74/5	1.214	1.012
26	नासिका जौजे नारायण जाति जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	74/6	1.214	1.064
27	तुलसीराम व. नारायण जाति जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	74/7	1.214	0.607
28	लता बेवा सुदामा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	75/4	0.628	0.523
		75/7	0.498	0.267
29	किसन व. दमडू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	75/5	0.637	0.5
30	किसना व० दमड्या जाति कुन्बी सा देह	75/3	0.490	0.290
31	प्रदीपसिंह व० चन्द्रचूड सिंह जाति ठाकुर निवासी भैसदेही	75/6	1.012	1.012
32	नासिका जौजे किसन जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	75/8	0.400	0.400
33	अशोक व. श्यामू जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	76	2.132	2.132
34	वासुदेव व. नारायण जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	77/1	1.843	1.292
35	कमलेश व. नारायण, भल्या जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी	77/2	0.405	0.301
36	अंजना बेवा चिन्ध्या दशरथ गुलाब व. चिन्ध्या शांता लता सुशीला व. चिन्ध्या रेखा ना.बा. व. चिन्ध्या वलीमा अंजना बे. चिन्ध्या जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	78	2.033	1.016
		80/2	0.293	0.293
37	किसन पिता अशोकराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	58/4	0.404	0.404
38	कासू बाई बे. परसराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	58/1	1.416	0.162
39	श्रीराम व. परसराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	58/2	1.588	1.588
40	किशोरी व. दुकड्या जाति तेली सा.देह भूमिस्वामी	58/3	1.213	1.213
		58/5	0.809	0.809
41	अंजना बेवा चिन्ध्या जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	58/6	0.405	0.405

42	सीताराम व. परसराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	58/7	2.189	0.615
43	गुणवन्तराव व. परसराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	58/8	2.189	1.113
44	संजू व. देवराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	54/1	0.400	0.400
		54/4	0.200	0.200
45	साहेबराव व. भैया जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	53/1	0.710	0.601
46	किसनराव पुत्र नारायण जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	53/2	1.659	1.356
47	अजाबराव व. भैया जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	53/6	0.809	0.809
48	भागा बेवा आत्माराम परसराम गुलाबराव, पंजाबराव, आशा, काशी देवी, ईमला पिता आत्माराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	11	2.286	1.052
49	सरस्वती पिता काशीराम जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	10/1	1.019	0.609
50	सहादेव गणेश, दिनेश, व. किसन जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	8/2	1.386	0.452
51	मुरोती व. मानिकराव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	8/1	0.346	0.346
52	रामू पिता मुकिन्दा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	7/2	1.825	0.407
53	केशोराव, गेदराव, पांडुरंग पिता मुकिन्दा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	7/1	1.284	1.284
54	सुखदेव व. गणपति जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	6/2	1.297	0.317
55	पंढरी व. गोन्दा जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	6/1	1.298	0.203
56	काशुबाई जौजे दशरथ जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	5	2.594	0.493
57	रामदयाल व. भैयालाल, गेंदाबाई बेवा भैयालाल जाति गाडरी सा.देह भूमिस्वामी	2/3	1.774	0.050
58	शंकरदयाल व. भैयालाल गेंदाबाई बेवा भैयालाल जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	2/2	0.550	0.105
59	मधु व0 इठोबा कुन्बी सा0 देह	97/5	0.405	0.405
		97/10	0.500	0.500
60	प्रहलाद व0 किसनराव कुन्बी सा0 देह	54/3	0.244	0.244
61	गुनीबेवा बेवा नामदेव, देवराव, गोविंदराव, जया, राधिका पूरभा, पिता नामदेव जाति कुन्बी सा0 देह	54/05	0.030	0.030

62	लता बेवा भगवंतराव, रोशन,सागर पिता भगवन्तराव जाति कुन्बी सा देह	54/6	0.580	0.290
63	किसन पिता आकोशराव जाति कुन्बी पता निवासी घोगामा सा.देह भूमि स्वामी	80/1	0.294	0.294
	योग			65.630

- 1- चूंकि पूर्ण लघु जलाशय नहर रहित, हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 8अ-82-2017-18-मौजा चौकी-3019

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे०)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
23		4	5	6
बैतूल	चौकी	21.803	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल	प्रभुदाना लघु जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	जुगराम व. जघु सा. देह भूमिस्वामी	69/2	1.660	1.560
2	काशीबाई पत्नी तानू सा. देह	70/1	0.792	0.400
3	तुकाराम, भरत व. लहन्या सा. देह	70/2	1.619	1.619
4	नारायण व. किसना गौली सा. देह भूमिस्वामी	71	0.530	0.530
		72	0.255	0.255
		74	0.348	0.348
5	भरत व. लहन्या गौली सा. देह भूमिस्वामी	75/2	2.434	2.434
6	तुकाराम, व. लहन्या गौली सा. देह भूमिस्वामी	75/3	2.434	2.434
7	पुन्नु व. सुकाली गौली सा. देह भूमिस्वामी	75/1	2.428	2.428
8	भंगी व. रोनु गौंड सा. देह भूमिस्वामी	76	1.193	1.193

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
9	फकीरा व. मन्नू कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	77/1	1.001	1.001
10	सुनीता पति रतन सेलूकर कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	77/3	1.012	1.012
11	उर्मिला पति रमेश सेलूकर कोरकू सा. देह भूमिस्वामी	77/4	0.809	0.809
12	प्रेम व. अंगी गौड सा. देह भूमिस्वामी	77/2	0.809	0.809
13	सानुर पिता शेख इब्राहिम जाति मुसलमान सा. देवगांव	78/5	0.093	0.093
		79/5	0.192	0.192
		81/5	0.041	0.041
		82/5	0.019	0.019
		92/5	0.227	0.200
14	शाहजहा पिता शेख इब्राहिम जाति मुसलमान सा. देवगांव	78/3	0.093	0.093
		79/3	0.162	0.162
		81/3	0.041	0.041
		82/3	0.018	0.018
15	कमरून पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/8	0.094	0.094
		79/8	0.192	0.192
		81/8	0.041	0.041
		82/8	0.018	0.018
		92/8	0.229	0.229
16	जैरून पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/7	0.093	0.093
		79/7	0.193	0.193
		81/7	0.041	0.041
		82/7	0.018	0.018
		92/7	0.227	0.227
17	ताजुन पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/2	0.093	0.093
		79/2	0.025	0.025
		81/2	0.041	0.025
		82/2	0.018	0.018
18	तानुर पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/6	0.093	0.093
		79/6	0.930	0.930
		81/6	0.041	0.041
		82/6	0.018	0.018
		92/6	0.227	0.227

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
19	नूरजहां पिता शेख इब्राहिम मुसलमान सा. देवगांव	78/4	0.093	0.093
		79/4	0.192	0.192
		81/4	0.041	0.041
		82/4	0.019	0.019
20	मो. मुश्ताक, मो. अशपाक पिता मो. मुनीफ, सफ़ीया, जफ़िया, नफीसा, अलीसा, अजीजा, अंजुम पुत्रियां मो. मुनीफ	78/1	0.093	0.093
		79/1	0.192	0.192
		81/1	0.041	0.041
		82/1	0.018	0.018
21	झमलू राजा सा. देह भूमिस्वामि	80	1.311	0.200
22	बिरजू व. सोनू गौंड सा. देह भूमिस्वामी	83/2	0.809	0.607
कुल योग			23.651	21.803

1- चूंकि प्रभुदाना लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अन्तर्गत समाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 13अ-82-2017-18-मौजा गंगाई-3020

चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे०)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	गांगई	30.899	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मुलताई	गांगई जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	पैकू व० मलकू कैलाश ना०बा० व० रावजी वलि पिता रावजी पवार सा० दुनावा भूमिस्वामी	34/4	0.809	0.303
2	रूपलाल शिवरतन व० तेजी नारायण प्रहलाद रघुनाथ व० गोरू लीला पिता गोरू गौरी बेवा शंकर अजय विजय राजेश व० शंकरलाल परमिला उमिला अन्जू पिता शंकरलाल सा० देह भूमिस्वामी	43	8.466	1.000
3	गिटीर व० बारीक रामजी गोकुल कमलेश व० टुटकू कला कमल परबत माहो लीला प्रमिला पिता टुटकू झुम्मक लखन प्रहलाद राकेश व० रतन मीना गुन्ता संगीता	44	1.833	0.162
	पिता रतन सम्पतबाई बेवा रतन पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी	46	4.140	0.506
4	झुम्मक लखन प्रहलाद राकेश व० रतन मीना गुन्ता संगीता पिता रतन सम्पतबाई बेवा रतन पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी	47	2.469	2.000

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	मुलर बेवा नान्हू पंजू सुखराम मधु मनोहर किशोर व० नान्हू धम्मा पिता नान्हू सा. देह भू-स्वामी	48	0.756	0.756
6	ओझा व० ढोण्डू पवार सा. दुनावा भू-स्वामी	49/1	0.984	0.984
7	केशोराव व० ढोण्डू पवार सा० दुनावा भू-स्वामी	49/2	0.985	0.580
8	लक्ष्मण व० ढोण्डू पवार सा. दुनावा भू-स्वामी	49/3	0.985	0.809
9	धनीसिंग बलसिंग व० जगनू गोंड सा. देह भू-स्वामी	50	3.099	0.707
10	बलसिंग व० जगनू गोंड सा० देह भूमिस्वामी	51/1	0.790	0.081
		51/8	1.191	0.446
11	धनीसिंग वल्द जगनू जाति गोंड सा.देह भूमि स्वामी	51/3	0.061	0.061
		51/7	1.191	0.081
12	महताप ओझा व० बलकरण रन्नो बन्नो पिता बलकरण केजो बेवा बलकरण गोंड सा० देह	51/2	0.061	0.061
		51/6	1.191	0.081
13	चतुर व शोभाराम पवार सा० दुनावा भूमि स्वामी	52/1	3.237	0.041
14	झुम्मकलाल व आत्माराम कलार सा० दुनावा भूमि स्वामी	53	1.546	1.546
15	कचरू व नाबू रेसूल कौशल पिता नाबू धर्मन्द्र व रंगलाल रम्बा माया कुसुम गुजो अमरा पिता रंगलाल रत्तो बेवा रंगलाल भीमराव अर्जुन नकुल व चिन्धु सुशिला पिता चिन्धु सुन्दर बेवा चिन्धू सा० मेला मुनेश व चैतराम चंदा वंदना पिता चैतराम रंगी बेवा गुसाई आनंदराव अशोक मोहन सुरेश व गुसाई इमला पिता गुसाई सा० भूमि स्वामी	66/1	2.275	0.202
16	बोंदरू व० फकिरिया कचराबाई फगनीबाई कलस्याबाई इंदिराबाई पिता फकिरिया सा. देह भू-स्वामी	66/2	2.274	2.000
17	रत्तो बेवा रंगलाल भीमराव अर्जुन नकुल व० चिन्धू गोसाई व० जुगन महेश सा. देह भू-स्वामी	67	0.235	0.235

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
18	गणेश व० घसीट पाचो बेवा घसीटन सुशीला रूपवती कोशल सुमन दमंती पिता घसीट रमेश मोहन खेमराज व० रामचंद्र मिदलो बेवा रामचंद्र फूलावती सेवती मोहबती कमल विमल पिता रामचंद्र नाई सा. देह भू-स्वामी	69/1	1.659	1.659
19	कुसुम पति रमेश नाई सा० दुनावा भूमिस्वामी	69/3	1.214	1.214
20	मिन्या व० ढोण्डिया मेहरा सा० देह भूमि स्वामी	70	1.898	1.405
21	संगीता पति जगमोहन अग्रवाल सा० मुलताई भूमिस्वामी	71	1.048	0.081
22	मंदराजी व० विन्नर गोंड सा० देह भूमिस्वामी	74/14	1.214	0.202
23	सदिया बेवा सुखराम कृष्णा लखन जयपाल नेपाल व० सुखराम मुन्नी झुन्नी यशोदा पिता सुखराम सा० देह भूमिस्वामी	74/15	1.214	0.202
24	जानकी बेवा जियालाल सुमरलाल रतन व० जियालाल गोंड सा० देह भूमिस्वामी	74/16	1.012	0.607
25	बोंदरू व० फकिरिया मेहरा सा. देह भू-स्वामी	305	1.012	1.012
26	गुरू व बिहारी पारबती बेवा रामेश्वरदयाल अग्रवाल सा० मुलताई भूमि स्वामी (लक्ष्मीनारायण मन्दिर मुलताई प्रबंधक श्रीमान कलेक्टर साहब बैतूल)	308	9.275	5.275
27	कैलाश व सुखलाल कलसिया बेवा सूखलाल रामवती पार्वती लक्ष्मी पिता सुखलाल लोहार सा० देह भूमि स्वामी	68/3	1.053	1.053
		68/14	2.178	2.178
28	श्यामराव व फकिरिया लोहार सा० देह भूमि स्वामी	68/4	0.142	0.142
		68/6	0.142	0.142
		68/8	0.137	0.137
		68/10	0.343	0.343
		68/12	0.405	0.405
		68/16	0.305	0.305

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
29	समरथ व फकिरया लोहार सा0देह भूमि स्वामी	68/5	0.202	0.202
		68/2	0.171	0.171
		68/7	0.243	0.243
		68/9	0.405	0.405
		68/11	0.205	0.205
		68/13	0.190	0.190
		68/15	0.200	0.200
30	गेंदा मुल्लर झुल्लर सुमन पिता फकिरिया रामप्यारी बेवा राधेलाल पंजाब कैलाश व राधेलाल गीता लक्ष्मी सुमत्रा सुशिला फगनी पिता राधेलाल सुरेश नरेश व घुडिया निर्मला शर्मिला पिता घुडिया पवार सा0दुनावा भूमि स्वामी	75/1	0.093	0.093
31	पारबती बेवा दसरिया पवार सा0डहुआ भूमि स्वामी	75/2	0.093	0.093
32	जियालाल व सकरया मैना पिता सकरया पवार सा0 दुनावा भूमि स्वामी	75/3	0.093	0.093
कुल योग		-	64.724	30.899

1- चूंकि गांगई लघु जलाशय हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 04 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण हेतु पृथक से कार्यवाही प्रचलित है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 12अ-82-2017-18-मौजा सरई-3021

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1					
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०मे)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	23		4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	सरई	1.247	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन मुलताई संभाग	गांगई जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	झिगरू व० केवजी सा० देह भूमिस्वामी	8	0.174	0.174
2	चंपाबाई जौजे लखन पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी	9/1	0.198	0.198
		9/2	0.107	0.107
		9/3	0.137	0.137
		9/4	0.198	0.198
		10	0.194	0.194
3	आनंदराव सरजेराव राजेश जितेन्द्र व० साहेबलाल बिपत व० बाबूलाल दसिया बेवा साहेबलाल पवार सा. दुनावा भू-स्वामी	11/1	2.849	0.081
4	राजू व० मुन्ना पंवार पता निवासी सा. दुनावा भू-स्वामी	19/1	0.607	0.032
		19/5	0.287	0.021

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा हे.	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
5	गुड्डू व0 मुन्ना पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी	19/2	0.607	0.032
6	कमलेश व0 लक्ष्मण पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी	19/3	0.607	0.032
7	नरेश व0 लक्ष्मण पंवार सा. दुनावा भू-स्वामी	19/4	0.607	0.041
Total			6.572	1.247

1- चूंकि गांगई जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा-4 के अंतर्गत समाजिक समाघात निर्धारण पृथक से किया जा रहा है।

2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।

3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई वित्त्वंगमन सृजित नहीं करेगा।

4- समुचित सरकार की वेबसाइट [www. betul.nic.in](http://www.betul.nic.in) पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 21 मार्च 2018

क्र. 22अ-82-16-17

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : **जमुनिया गौंड जलाशय योजना**
(2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बड़ेरा
 4. पट.ह.नं.- : 172
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 2.40 हे.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	राधे पिता कमोद	भूमिस्वामी	2/1	1.54	0.50	
2	निरभे पिता कमोद	भूमिस्वामी	2/2	0.85	0.30	
3	हल्लू बल्द कमोद	भूमिस्वामी	3/1	1.77	0.50	
4	निरभे पिता कमोद	भूमिस्वामी	3/2	0.62	0.20	
5	जालम बल्द नंदा	भूमिस्वामी	4/1	1.05	0.25	
6	इमरत, अशोक, सुरेश पिता धन्नु	भूमिस्वामी	4/2	1.20	0.25	
7	निरपत पिता रामा शिवरानी बेबा रामा	भूमिस्वामी	5/1	0.60	0.30	
8	गजराज बल्द काशीराम	भूमिस्वामी	5/2	0.40	0.10	
	कुलयोग		8	8.03	2.40	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में, दिनांक 24/3/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 64अ-82-16-17-3792

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण :
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बेरखेड़ी मडिया
 4. पट.ह.नं.- : 133
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.621 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकबा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4			7	8
1	विन्द्रावन वल्द निजाम साकिन देह	भूमिस्वामी	240	1.600	0.024	निरंक	सिंचित
2	श्री देवी दुर्गाजी मुह.महाराजसींग वल्द धरमसींग पता सा. देह	भूमिस्वामी	241	5.250	0.300	निरंक	पड़ती
3	राजकुमार वल्द रूपसींग पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	242	0.550	0.065	निरंक	सिंचित
4	रूपसींग गोविंदसींग पिस. डोमन अवधरानी बेवा डोमन पता सा. सींगना	भूमिस्वामी	243	4.350	0.122	रेंजा-1 बबूल-1	सिंचित
5	हिम्मत बल्द छुट्टी गुमानोबाई पुत्री छुट्टी भोगोतीबाई बेवा छुट्टी दलपत मंगल पिता नंदलाल माखन गुड्डू नावा. पिस. रज्जू वली मां सुहागरानी पति राजू पता सा. अगरा	भूमिस्वामी	245	6.180	0.110	निरंक	असिंचित
योग:-			04	17.930	0.621	02	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/4/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 21अ-82-16-17-3794

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

(1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौड जलाशय योजना

(2) भूमि का विवरण

1. जिला : सागर
2. तहसील : सागर
3. ग्राम : जमुनिया गौड
4. पट.ह.नं.- : 150
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 12.28 हे.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	इमरत पिता बलू	भूमिस्वामी	227/1	1.77	1.77	मकान-1, अमरुद-18, नीबू-7 आम-3, जामुन-2 मुनगा-1, जिमरिया-2 पपीता-4, बेरी-1 सागौना-3
2	कालूराम पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	227/2	0.90	0.10	सागौना-1
3	बूठा पिता पंचे	भूमिस्वामी	229/1	0.18	0.18	मकान-1, पपीता-8, नीबू-1 बेल-1, आम-3 अनार-2, अमरुद-1
4	बृजरानी पत्नि बूठे	भूमिस्वामी	229/2	1.00	1.00	-
5	राजू विनोद चन्द्रशेखर जितेन्द्र पिता देवकरण क्रांति पुत्री देवकरण	भूमिस्वामी	230	0.97	0.97	मकान-1, मुनगा-1
6	नत्था पिता दलपा	भूमिस्वामी	231	1.07	1.07	अमरुद-1, बेरी-1, नीबू-1
7	गुबंदी पिता चौदा	भूमिस्वामी	232/1	0.42	0.42	बिही-1, सागौना-3
8	राकेश पिता रामेश्वर	भूमिस्वामी	232/2	0.40	0.40	मकान-1
9	देवकरण पिता बलुवा	भूमिस्वामी	233	0.98	0.98	बिही-4, नीबू-2 पपीता-4, बेरी-1 इमली-1, महुआ-1 नीम-1, सागौना-6

10	प्रताप, मुलू, गोविन्द पिता जीवन हीराबाई, भगगोबाई मालतीबाई कलाबाई पुत्री जीवन	भूमिस्वामी	234	1.20	1.04	मकान-1, अमरुद-5, बेरी-1, नीबू-2, कठहल-1, पीता-5, आवला-1
		भूमिस्वामी	223	0.01	0.01	-
11	रामचरण पिता चोखेलाल	भूमिस्वामी	235/1	0.38	0.10	
12	सुरेन्द्र ना.वा. पिता मिट्ठू	भूमिस्वामी	235/2	0.40	0.40	बेरी-3, अमरुद-2
13	काशीराम पिता नारायण	भूमिस्वामी	235/3	0.40	0.40	बेरी-2
14	भुवानी पूरन मिट्ठू मानसींग गोविन्द बल्द खिलान इमरती नब्बो पुत्रियों खिलान	भूमिस्वामी	236	2.66	2.21	-
		भूमिस्वामी	237	2.04	0.13	-
15	उमेश पिता नंदराम	भूमिस्वामी	240	1.01	0.48	बेरी-1, सागौना-1
16	लच्छू पिता नन्हा	भूमिस्वामी	241/3	0.65	0.28	-
17	प्रदीप पिता दुर्गाप्रसाद	भूमिस्वामी	239/2	0.93	0.27	-
18	अजय कुमार, ना.वा. पिता व वली ऋषि कुमार पिता बाबूलाल	भूमिस्वामी	238/1	0.83	0.05	-
		भूमिस्वामी	238/2	0.40	0.02	-
19	कमलरानी पति देवीप्रसाद	भूमिस्वामी	238/2	0.40	0.02	-
कुलयोग			19 किता	18.60	12.28	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/04/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 23अ-82-17-18-3795

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : भगवंतपुरा जलाशय योजना (शीर्ष कार्य)
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : पड़रिया
 4. पट.ह.नं.- : 101
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 46.93 हे.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकबा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे.में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	श्रीराम पिता गनेश	भूमिस्वामी	1533	1.35	0.48	कुआ-1, नीबू-1, अमरुद-1, बेरी-3, बेल-2, आम-1, इमली-3, सागौन-1
			1537	0.81	0.30	साज-3, नीम-3, बमूरा-1
2	नन्नेभाई पिता नन्नू	भूमिस्वामी	1540	1.42	1.42	कुआ-1, आम-1, बेरी-2
3	तल्लो पिता कुददा	भूमिस्वामी	1541/1	0.66	0.66	कुआ-1, बेरी-2, आम-1, अमरुद-1, नीम-1, शीशम-1
			1541/2	0.20	0.20	-
			1573/3	0.29	0.29	कोहा-2
			1598/2	0.02	0.02	कोहा-1, बेरी-2
			1598/3	0.02	0.02	कोहा-1, बेरी-1
			1572/2	0.29	0.29	कोहा-2, बेरी-1
4	ब्रजलाल पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1542/1	0.68	0.68	
5	अरविन्द्र पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1542/2	0.18	0.18	बेर-1, आम-3, खैर-3, नीम-2
			1550/2	0.50	0.50	कोहा-9, साज-3, खैर-1, रेंजा-1

6	मोहन पिता कुददा	भूमिस्वामी	1543	0.65	0.65	कुआ-1, बेल-4, बेरी-3, अमरुद-3, आम-3
			1572/1	0.29	0.29	बबूल-4
			1573/1	0.04	0.04	कोहा-2
			1598/1	0.03	0.03	
7	तिजई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1544	0.57	0.57	नलकूल-1, बबूल-1, कोहा-10, नीम-2
			1597	0.13	0.13	नलकूप-1, बेरी-3, बबूल-2, रंजा-2
8	राजू पिता कृददा	भूमिस्वामी	1545/1	1.40	1.40	कुआ-1, बेल-3, अचार-1, गुंजा-2 कोहा-2,
			1572/3	0.20	0.20	बेरी-2, कोहा-1
			1573/4	0.04	0.04	कोहा-3
9	बिहारी पिता कुददा	भूमिस्वामी	1545/2	0.70	0.70	कुआ-1, कोहा-1
			1572/4	0.29	0.29	बेरी-2, कोहा-1
			1573/2	0.03	0.03	कोहा-1, बेरी-1
			1598/4	0.02	0.02	कोहा-1, बेरी-3
10	नन्नेभाई पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1546	0.42	0.42	कुआ-1, बेरी-1, बबूल-2, कोहा-3, साज-1, नीम-1, महुआ-2
			1592	0.24	0.24	बेरी-2, महुआ-2
11	धनीराम पिता कुददा	भूमिस्वामी	1547	0.53	0.53	-
			1572/5	0.29	0.29	कोहा-1, बेरी-2
			1573/5	0.03	0.03	कोहा-1
			1591	0.68	0.68	बबूल-1, रंजा-1
			1598/5	0.02	0.02	बबूल-1, बेरी-1
12	महेन्द्र, दयाराम पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1548	1.52	1.52	कुआ-1, आवला-1, बबूल-3, साज-1, गुरार-1
13	शकूर पिता जमना	भूमिस्वामी	1549/1	0.92	0.92	आम-1
14	साविर, अजीत पि. सबुआ, हसीना वे. सबुआ	भूमिस्वामी	1549/2	0.45	0.45	अचार-2
15	कल्याण पिता चुन्नीलाल	भूमिस्वामी	1550/1	0.50	0.50	बेरी-1, कोहा-11, साज-3, रंजा-1
			1539/1	0.18	0.16	बेरी-2, बबूल-3
16	कलू, लक्ष्मन, चौदे पिता गोविन्द	भूमिस्वामी	1551	0.95	0.95	कुआ-1, नीम-2, बबूल-1, अचार-5, आम-1, बेरी-2 कोहा-2
17	भूरत बल्द फूलसींग, लक्ष्मीबाई विजयाबाई पुत्री फूलसींग धनबाई बेबा फूलसींग	भूमिस्वामी	1552	0.60	0.60	-
18	रतन पिता हिम्मा सौर	भूमिस्वामी	1553	0.54	0.54	-
19	रामनारायण पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1555	0.37	0.37	-
20	बृजकिशोर पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/1	0.09	0.09	कोहा-1
21	महेन्द्र पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/2	0.09	0.09	कोहा-1
22	अशोकसिंह पिता फेरनसींग	भूमिस्वामी	1561/3	0.08	0.08	कोहा-1
23	करन, प्रकाश पिता रामनाथ	भूमिस्वामी	1562	0.18	0.18	अचार-5
24	प्रताप पिता विन्द्रावन पुष्पेन्द्रसींग वा जितेन्द्रसींग ना. बा. पिता प्रतापसींग	भूमिस्वामी	1564	1.61	1.61	कोहा-10, अचार-15
25	बाबूखां पिता रज्जूखां	भूमिस्वामी	1567	0.77	0.77	कुआ-1, कोहा-2
			1568	0.37	0.37	बेरी-2, कोहा-2
26	मजीत खां पिता खुन्ने खां	भूमिस्वामी	1569	0.02	0.02	बेरी-2, कोहा-2
27	हरी पिता पचकौडी	भूमिस्वामी	1570	0.78	0.78	-
28	धन्नी छोटे पिता झुत्ते, गंगा, शीला, सीता पुत्री झुत्ते	भूमिस्वामी	1571	0.04	0.04	साज-4
29	नारान पिता कुददा	भूमिस्वामी	1572/6	0.28	0.28	साज-4, अचार-3
			1573/6	0.03	0.03	बेरी-1, कोहा-2
30	बलीराम पिता रल्ली	भूमिस्वामी	1574	0.91	0.91	कोहा-1, बेरी-1

31	प्रताप पिता विन्द्रावनसिंह पुष्पेन्द्रसींग वा जितेन्द्रसींग ना.बा. पिता प्रतापसींग	भूमिस्वामी	1575	0.30	0.30	-
32	फूलरानी पति मजीद खॉ	भूमिस्वामी	1576	0.32	0.32	-
33	छोटा पिता झुत्ते	भूमिस्वामी	1577	1.21	1.21	कुआ-1, कोहा-1
34	रामरतन उर्फ बल्लू, राजकुमार, रज्जन धमेन्द्र कमलेश, प्रभू पिता सुखनंदन पार्वती राधा पु. सुखनंदन, संतोषरानी उर्फद्रोपती बेबा सुखनंदन	भूमिस्वामी	1579	0.10	0.10	अचार-2
35	भागवती बेबा सुखराम, झब्बू पंचू पिता सुखराम	भूमिस्वामी	1580	1.01	1.01	कुआ-1, अचार-2
36	बूठा पिता चिमन	भूमिस्वामी	1581	1.01	1.01	कुआ-1, अमरुद-1
37	मजीत पिता खुन्ने खॉ	भूमिस्वामी	1582	0.95	0.95	कुआ-1
38	बसीर मुहम्मद पिता पीर खॉ	भूमिस्वामी	1583	0.84	0.84	बबूल-2
39	रामेश्वर पिता बब्बू	भूमिस्वामी	1584	0.37	0.37	कुआ-1, साज-3, अचार-5
40	बफाती पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/1	1.28	1.28	कुआ-1, महुआ-1, साज-3, आम-4, बेरी-6, आवला-2
41	उस्ताज पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/2	1.28	1.28	बबूल-2, बेरी-2, बहेरा-2
42	मुस्ताक पिता अब्दुल	भूमिस्वामी	1585/3	1.28	1.28	बबूल-2, गुरार-1, बेरी-2
43	डग्गू खॉ हल्लूखॉ रहीश खॉ शरीफ खॉ पिता छुट्टी खॉ	भूमिस्वामी	1586	0.54	0.54	बेरी-3, बबूल-1
			1587/2	0.29	0.29	कुआ-1, कोहा-2, बबूल-2, बेरी-2
44	इस्लाम, जाविद पिता बाबू खॉ हल्लूबाई बेबा बाबू खॉ	भूमिस्वामी	1587/1	0.30	0.30	कोहा-4, बेरी-5
45	रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर, राजरानी बेबा गौरीशंकर	भूमिस्वामी	1588	1.76	1.76	कुआ-1, आम-2
46	इस्लाम जाविद पिता बाबू खॉ बेगम पि. पीर खॉ डग्गू खॉ हल्लू खा रहीश शरीफ / छुट्टी खॉ	भूमिस्वामी	1589	1.44	1.44	कुआ-1, जामुन-1, बेरी-4, अमरुद-1
47	रामसेवक, आशाराम पिता गौरीशंकर राजरानी बेबा गौरीशंकर	भूमिस्वामी	1590	0.15	0.15	बबूल-5, बेरी-1
48	काशिम खॉ पिता लाल खॉ	भूमिस्वामी	1594	0.54	0.54	कुआ-1, कोहा-1, सागौन-1
			1595	0.35	0.35	कोहा-5, गुजा-2
49	देवीसींग, कुवरसींग पिता नन्हासींग	भूमिस्वामी	1596	0.89	0.89	खैर-1, गुजा-2, नीम-1, मुसम्बी-1, नीबू-1, बेल-2, बहेरा-1, बेरी-5
50	नारान पिता कुददा	भूमिस्वामी	1598/6	0.02	0.02	बबूल-1, बेरी-2
			1534	0.85	0.16	बेरी-3, बबूल-4, साज-1
51	नफीसा उर्फ नसीम बी पति मुनीखॉ	भूमिस्वामी	1536	0.93	0.10	महुआ-1, साज-3
52	कुन्दन, भगवानसींग, फूलसींग पिता रतन	भूमिस्वामी	1538	0.48	0.15	बबूल-2, बेरी-2
53	बफादी वल्द अब्दुल	भूमिस्वामी	1600/1	0.18	0.18	बीजा-1, सागौन-2, बेरी-1
54	मुनीर खॉ पिता गुलाब खॉ	भूमिस्वामी	1600/2	0.18	0.10	कुआ-1, महुआ-2, सागौन-2, अमरुद-1
			1600/3	0.18	0.04	खैर-1, सेमर-1, आम-1
55	बहादुर खॉ / खुन्ने (ग्राम नौकर सेवा भूमि)	सेवाभूमि	1565	1.30	1.30	कोहा-5, साज-2, अचार-15, बेरी-2
56	इमरान खॉ पिता मुहंरम खॉ (ग्राम नौकर	सेवाभूमि	1566	4.04	4.04	कोहा-5, अचार-10, बेरी-5

	सेवा भूमि)					
5*	राधारानी बेबा मोहन चढ़ार (ग्राम नौकर सेवा भूमि)	सेवाभूमि	1578	1.73	1.73	बेरी-2
	Total		57	50.40	46.93	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/11/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 67अ-82-16-17-3800

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- (1) परियोजना का नाम : परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण
- (2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : बम्हौरी
 4. पट.ह.नं.- : 133
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 0.923 है.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकबा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वीरसींग बल्द जगन्नाथ पता सा. पिपरिया	भूमिस्वामी	209	3.040	0.076	महुआ-1	सिंचित
2	निर्मयसींग पिता जगन्नाथसींग पता सा. पिपरिया भूमिस्वामी	भूमिस्वामी	210	2.750	0.112	महुआ-2 बबूल-2	सिंचित
3	हरिभगवान पिता भैयालाल सा. पिपरिया	भूमिस्वामी	311/320	0.480	0.216	महुआ-1	सिंचित
4	प्रीतमसींग गब्बरसींग पिता चंदन सींग साकिन मढ़खेरा	भूमिस्वामी	312	1.540	0.128	निरंक	सिंचित
योग:-			04	7.810	0.532		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 28/4/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे

हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए भागों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 66अ-82-16-17-3801

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैं:-

- | | | |
|-----------------------------|---|----------------------------------|
| (1) परियोजना का नाम | : | परकुल मध्यम परियोजना नहर निर्माण |
| (2) भूमि का विवरण | : | |
| 1. जिला | : | सागर |
| 2. तहसील | : | सागर |
| 3. ग्राम | : | पिपरिया |
| 4. पट.ह.नं.- | : | 129 |
| 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल | : | 1.184 है. |

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल कुल (रकबा हेक्टे. में)	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण	भूमि का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बलराम, रघुराज पिता रन्जोर साकिन देह	भूमिस्वामी	147/1	0.560	0.044	बबूल-1	सिंचित
2	सीतारामसींग, गोविन्दसींग पिता रनजोरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	147/2	0.550	0.044	बबूल-1	सिंचित
3	भगवान सींग वल्द थानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	150	1.080	0.032	निरंक	सिंचित

4	गोरी पिता प्रेमसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	155/2	1.930	0.184	बेरी-2, बांस-2 बंबूल-1 सागौन-1	सिंचित
5	अनूपरानी पति मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/1	0.590	0.128	सागौन-1 रेजा-1	असिंचित
6	स्वदेश पिता मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/2	2.000	0.140	रेजा-1	असिंचित
7	सतेन्द्र बल्द मनोहर सींग साकिन देह	भूमिस्वामी	261/3	2.000	0.152	रेजा-1	सिंचित
8	राघवेन्द्र सिंह पिता विजय सिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	262	0.740	0.024	सागौन-10 कोहा-1 इमली-1	सिंचित
9	महेन्द्रसींग पि. भगवानसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	164	0.600	0.088	गुरार-1 पीपल-1 नीम-1 रसल्ला-1	सिंचित

10	प्रेमसींग पिता अमोलसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	169	0.060	0.024	निरक	असिंचित
11	प्रभू बल्द परमू साकिन देह	भूमिस्वामी	170	0.050	0.012	निरक	असिंचित
12	राजेन्द्र पिता बैजनाथ गीता बेवा बैजनाथ साकिन देह	भूमिस्वामी	172	0.100	0.008	निरक	असिंचित
13	सीतारामसींग गोविन्दसींग पिता रनजोरसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	173	0.060	0.008	बेरी-1 बांस-3 नीम-1	असिंचित
14	अरविन्द सुरेन्द्र पिता प्रतापसिंह रामरानी बेवा प्रतापसिंह साकिन देह	भूमिस्वामी	183	0.380	0.088	बेरी-1	सिंचित
15	गणेश सिंह पिता विजयसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	184	0.620	0.104	कैथा-1 कोहा-1 महुआ-1 सागौन-2	असिंचित
16	सुरेन्द्र सींग पिता वदनसींग साकिन देह	भूमिस्वामी	265	1.310	0.104	सागौन-2 महुआ-1 कोहा-1 खैर-1	सिंचित
योग:-			16	12.630	1.184		

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/4/2018 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 केसली जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 20अ-82-16-17-3804

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15(2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है:-

- (1) परियोजना का नाम : जमुनिया गौड जलाशय योजना
 (2) भूमि का विवरण
 1. जिला : सागर
 2. तहसील : सागर
 3. ग्राम : परगासपुरा
 4. पट.ह.नं.- : 172
 5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 14.07 हेक्टे.

स. क्र.	अभिलिखित धारक का नाम व पिता का नाम	स्वामित्व का प्रकार	खसरा क्र.	क्षेत्रफल कुल रकवा हेक्टे. में	अर्जित भूमि (रकबा हे. में)	भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति का विवरण
1	रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक माँ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	104/1	1.55	1.55	आवला-1
2	द्वारका पिता हरप्रसाद	भूमिस्वामी	104/2	0.40	0.40	-
3	रामसेवक भगवान, बालाप्रसाद पिता मोहन, नीलेश सत्यनारायण ना.बा. बल्द विष्णुप्रसाद पालक माँ खुद ममता बेबा विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	106	0.60	0.60	सागौन-120
4	नीलेश ना.बा.पिता विष्णुप्रसाद पालक मां ममता गोलू ना.बा. बल्द व बली बालाप्रसाद,दुर्गाप्रसाद पिता भगवानदास	भूमिस्वामी	107/1	1.33	1.33	-
5	लक्ष्मण प्रसाद सत्यम पिता विष्णुप्रसाद प्रीति दुर्गारानी पुत्री विष्णुप्रसाद	भूमिस्वामी	108	2.19	2.19	मकान-3 कुआँ-1 नीबू-3 बिही-10 कटहल-1 आम-3 बेरी-2

183

6	भ.मानदास बल्द मोहनलाल	भूमिस्वामी	109/1	0.40	0.40	—
7	अमान पिता रामसींग प्रेमरानी बेबा कलू	भूमिस्वामी	109/2	0.83	0.83	कुआँ-1 बिही-1
8	गनेश, प्रकाश पिता हरिराम	भूमिस्वामी	109/3	0.80	0.80	—
9	बालाप्रसाद बल्द मोहनलाल	भूमिस्वामी	110	2.28	2.28	सागौन-197
10	गुपालसींग पिता धीरजसींग	भूमिस्वामी	112/1	1.29	0.40	सागौन-28
11	जुझारसींग पिता धीरजसिंह	भूमिस्वामी	112/2	1.29	1.29	कुआँ-1 सागौन-26
12	विकाससिंह पिता कुवरसिंह	भूमिस्वामी	112/5	1.29	0.40	—
13	राजेश पिता मंगलसिंह	भूमिस्वामी	112/6	1.30	0.40	—
14	नीलेश पिता धनप्रसाद	भूमिस्वामी	112/7	1.29	0.40	—
15	नरेन्द्र पिता करतारसिंह	भूमिस्वामी	112/8	1.30	0.40	नीबू-1
16	प्रीतमसिंह पिता चैनसींग	भूमिस्वामी	112/9	1.29	0.40	सागौन-28
	कुलयोग		16	19.43	14.07	

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा कुटुंब का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम का इस प्रकरण में प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है।

अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 23/04/18 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां, धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं।

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सागर जिला सागर एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन सभागक्र1 सागर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 22 मार्च 2018

प्र. क्र.-ए-2326-भू-अर्जन-2018

चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम पथरिया के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - पथरिया		तहसील - जीरापुर	
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	145.732	117.341
	योग	145.732	117.341

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौध परियोजना में प्रभावित होने से					
क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	शमिल सर्वे नं. का पृथक-पृथक रकबा	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5	6
1	राधेश्याम पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/1/6/1		0.667	0.133
		8/1/2/1		0.100	0.100
	योग			0.767	0.233
2	मेहरवानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/1/6/2		0.667	0.133
		8/1/2/2		0.100	0.100
	योग			0.767	0.233
3	मानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/1/6/3		0.666	0.133
		8/1/2/3		0.101	0.101
	योग			0.767	0.234
4	दुलेसिंह आ. बापूसिंह जाति सौं. रा. पता निवासी ग्राम काछीखेडी भूमि स्वामी	1/6		4.047	0.650
		योग		4.047	0.650
5	भेरू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/1		2.125	0.105
		योग		2.125	0.105
6	प्रभू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/2		1.668	0.105
		योग		1.668	0.105

7	गोकुलप्रसाद पिता अमरसिंह जाति बलाई पता निवासी लसुडलिया खेराज भूमि स्वामी	3/1/8	1.518	0.120
		34/1/4	0.505	0.400
	योग		2.023	0.520
8	दुलेसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/3/1	0.016	0.016
		11/4/3/1	0.008	0.008
		12/2/3/1	0.020	0.020
		112/4/1/1	0.215	0.215
		33/3/3/1	0.009	0.009
		85/16/1/1	0.157	0.157
		85/1/2/1	0.541	0.541
		85/19/3/1	0.145	0.145
योग		1.111	1.111	
9	कुमेरसिंह पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/3/2	0.017	0.017
		11/4/3/2	0.008	0.008
		12/2/3/2	0.019	0.019
		33/3/3/2	0.010	0.010
		85/19/3/2	0.145	0.145
		112/4/1/2	0.215	0.215
		85/1/2/2	0.540	0.540
योग		0.954	0.954	
10	लालसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/3/3	0.017	0.017
		12/2/3/3	0.020	0.020
		112/4/1/3	0.214	0.214
		11/4/3/3	0.008	0.008
		33/3/3/3	0.010	0.010
		85/1/2/3	0.541	0.541
		85/16/1/2	0.680	0.680
		85/19/3/3	0.145	0.145
योग		1.635	1.635	
11	छोटुलाल पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/3/4	0.017	0.017
		11/4/3/4	0.007	0.007
		12/2/3/4	0.020	0.020
		33/3/3/4	0.009	0.009
		85/1/2/4	0.541	0.541
		85/16/1/3	0.428	0.428
		85/19/3/4	0.146	0.146
		112/4/1/4	0.215	0.215
योग		1.383	1.383	
12	पर्वतसिंह पिता हीरालाल जाति बैलदारपता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/4	0.066	0.066
		11/4/4	0.031	0.031
		12/2/4	0.079	0.079
		33/3/4	0.038	0.038
		85/1/1	2.744	2.744
		107/2/3	0.100	

		112/4/1	0.160	0.860	0.860		
		111	0.500				
		112/2	0.100				
		112/5/2/4				0.506	0.506
		112/5/3/4				0.322	0.322
	योग			4.646	4.646		
13	मोहनलाल आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/2/1		0.461	0.461		
		87/2	0.173	0.249	0.249		
		88/2	0.076				
		89/6/2		0.190	0.190		
		89/13/2		0.168	0.168		
	योग			1.068	1.068		
14	मानसिंह पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/2/2		0.323	0.323		
		102/1		1.379	1.379		
		योग		1.702	1.702		
15	भंवरलाल पिता हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/4/1		0.031	0.031		
		12/2/1		0.079	0.079		
		33/3/1		0.038	0.038		
		योग		0.148	0.148		
16	सिद्धलाल पिता हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/4/2		0.031	0.031		
		12/2/2		0.079	0.079		
		112/5/3/2		0.322	0.322		
		33/3/2		0.038	0.038		
		85/19/2		2.744	2.744		
	योग			3.214	3.214		
17	रायसिंह पिता मोतीलाल बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/1		0.278	0.278		
		112/5/1		2.000	2.000		
		8/1/4		2.000	2.000		
		85/5	0.253	0.620	0.620		
		85/6	0.101				
		85/10	0.228				
		85/11	0.038				
		85/2		0.759	0.759		
89/9/1		0.728	0.728				
	योग			6.385	6.382		
18	फुलसिंह पिता पर्वतसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1		0.160	0.160		
		योग		0.160	0.160		
19	रमेश पिता पर्वतसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/2		0.160	0.160		
		योग		0.160	0.160		
20	मांगीलाल पिता पर्वतसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/3		0.161	0.161		
		योग		0.161	0.161		
		26/1		0.059	0.048		

21	सजनबाई पति जालम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/1	0.042	0.061	0.061
		29/1	0.009		
		30/1	0.010		
		34/9/1		0.500	0.400
	योग			0.620	0.509
22	दुलेसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/2		0.059	0.048
		28/2	0.042	0.061	0.061
		29/2	0.009		
		30/2	0.010		
		37/2		1.401	0.891
		53/1/2		0.171	0.171
		59/1/2		0.042	0.042
		62/2		0.116	0.116
		64/2		0.017	0.017
		75/2		0.036	0.036
		74/2		0.019	0.019
		77/2	0.076	0.097	0.097
		78/2	0.021		
		90/2		0.324	0.324
		101/1		0.025	0.025
		59/2/2	0.023	0.059	0.059
		60/2	0.036		
		69/2		0.036	0.036
		98/2		0.322	0.322
		55/6/2		0.280	0.280
		70/2		0.013	0.013
		83/2		0.025	0.025
54/1/2		0.517	0.517		
80/2		0.076	0.076		
104/2		0.234	0.234		
106/2		0.084	0.084		
	योग		4.014	3.493	
23	धीसासिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/3		0.059	0.047
		28/3	0.042	0.061	0.061
		29/3	0.009		
		30/3	0.010		
		37/3		1.402	0.890
		54/1/3		0.516	0.516
	योग		2.038	1.514	
24	शिवसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/4		0.059	0.047
		64/4		0.017	0.017
		37/4		1.402	0.891
		28/4	0.042		

	29/4	0.009	0.061	0.061
	30/4	0.010		
	53/1/4		0.170	0.170
	54/1/4		0.516	0.516
	55/2		2.023	2.023
	55/6/4		0.280	0.280
	59/1/4		0.042	0.042
	59/2/4	0.023	0.059	0.059
	60/4	0.036		
	61/2		0.025	0.025
	62/4	0.067	0.116	0.116
	63/4	0.049		
	64/4		0.017	0.017
	69/4		0.036	0.036
	73/1		0.038	0.038
	75/4		0.036	0.036
	77/4	0.076	0.097	0.097
	78/4	0.021		
	80/4		0.076	0.076
	83/4		0.025	0.025
	98/4		0.322	0.322
	106/4		0.084	0.084
	90/4		0.325	0.325
	104/4	0.055	0.234	0.234
	105/4	0.179		
	योग		6.060	5.537
राजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/5		0.059	0.047
	37/5		1.403	0.891
	28/5	0.042	0.042	0.042
	53/1/5		0.171	0.171
	54/1/5		0.516	0.516
	55/6/5		0.280	0.280
	59/1/5		0.042	0.042
	59/2/5	0.023	0.059	0.059
	60/5	0.036		
	62/5	0.067	0.116	0.116
	63/5	0.049		
	67/1		0.025	0.025
	69/5		0.036	0.036

		73/2		0.038	0.038
		75/5		0.036	0.036
		77/5	0.076	0.097	0.097
		78/5	0.021		
		80/5		0.076	0.076
		83/5		0.025	0.025
		84/1		0.387	0.387
		90/5		0.325	0.325
		98/5		0.324	0.324
		104/5	0.055	0.234	0.234
		105/5	0.179		
		106/5		0.085	0.084
		योग		4.376	3.851
	26	छगनसिंह आ. हरिसिंह अंतरकुंवर बेवा हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/6		0.059
28/6			0.042	0.060	0.060
29/6			0.008		
30/6			0.010		
37/6				1.401	0.891
53/1/6				0.171	0.171
54/1/6				0.516	0.516
55/6/6				0.281	0.281
59/1/6				0.042	0.042
59/2/6			0.023	0.059	0.059
60/6			0.036		
62/6				0.116	0.116
64/6				0.016	0.016
67/2				0.026	0.026
69/6				0.035	0.035
73/4				0.038	0.038
75/6				0.036	0.036
77/6			0.076	0.097	0.097
78/6			0.021		
80/6				0.076	0.076
83/6				0.025	0.025
90/6				0.325	0.325
98/6				0.322	0.322
104/6			0.055	0.234	0.234
105/6			0.179		
106/6				0.085	0.085
	योग		4.020	3.498	
27	सिद्धु पिता धुला जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/1		0.030	0.007
		72/1		0.063	0.063
		94/2		0.147	0.147
		95/2		0.278	0.278
		योग		0.518	0.495

28	मेहरवान मुकेश जितेन्द्र पिता नारायणसिंह लीलाबाई वि. नारायणसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/2		0.030	0.007
		72/3		0.063	0.063
		94/3		0.148	0.148
		95/3		0.278	0.278
	योग			0.519	0.496
29	बाहदुरसिंह पिता धुला जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/3		0.029	0.006
		72/2		0.064	0.064
		94/1		0.148	0.148
		95/1		0.279	0.279
	योग			0.520	0.497
30	कालूसिंह पिता रामसिंह गोताबाई वि. रामसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/1/2		0.126	0.126
		91/9/1		0.139	0.139
		91/10		1.518	1.518
		33/2/2		0.006	0.006
		91/2/1		0.379	0.379
		91/3/2		0.212	0.212
		91/4/2/1	0.150	0.300	0.300
		91/5/1	0.150		
	112/5/4		0.379	0.379	
योग			3.059	3.059	
31	कालु पिता सिद्धु जाति बैलदार(तंवर) पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/1/3		0.709	0.709
		89/5/3		0.127	0.127
		89/10		0.379	0.379
		89/5/2		1.895	1.895
योग			3.110	3.110	
32	कालु पिता सिद्धु जाति बैलदार(चौहान) पता निवासी ग्राम भूमि	112/5/2/2		0.506	0.506
योग			0.506	0.506	
33	बद्रीलाल आ. हरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/2/1		0.006	0.006
		89/2	0.684	0.784	0.784
		91/8	0.100		
		89/11		1.240	1.240
		91/3/1		0.424	0.424
योग			2.454	2.454	
34	मानसिंह आ. हरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/2/3		0.007	0.007
		91/2/2		0.379	0.379
		91/3/3		0.212	0.212
		91/4/2/2	0.150	0.300	0.300
		91/5/2	0.150		
		91/9/2		0.139	0.139
योग			1.037	1.037	

35	गोकूल सिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/1/2		0.809	0.809
	योग			0.809	0.809
36	रामलाल आ. देवा जी जाति सों.रा. पता निवासी ग्राम लसड़ीया खेराड़ भूमि स्वामी	34/1/3		2.023	2.023
	योग			2.023	2.023
37	सोनारसिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/7/1		0.114	0.114
		53/2/2		0.253	0.253
		84/2/1		0.096	0.096
		86/2/1		0.255	0.255
		89/12/2/1		0.089	0.089
		34/8/2/2		0.243	0.243
	योग			1.050	1.050
39	भेरू सिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/7/2		0.057	0.057
		34/8/2/1		0.250	0.250
		81		0.228	0.228
		86/1/1		0.554	0.554
		96/1/1		0.020	0.020
योग			1.109	1.109	
40	भगवान सिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/7/3		0.057	0.057
		34/8/2/3		0.247	0.247
		84/2/2		0.097	0.097
		86/2/2		0.255	0.255
		89/12/2/2		0.090	0.090
		96/2		0.029	0.029
योग			0.775	0.775	
41	अर्जुन सिंह पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी	34/8/1/1		0.451	0.451
		35/1		0.076	0.076
		36/1		0.190	0.190
		योग		0.717	0.717
42	भोजराज पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी	34/8/1/2		0.452	0.452
		35/2		0.076	0.076
		36/2		0.189	0.189
		योग		0.717	0.717
37		37/1		1.401	0.891
		53/1/1		0.171	0.171
		54/1/1		0.517	0.517
		55/6/1		0.280	0.280
		59/1/1		0.043	0.043
		59/2/1	0.024	0.059	0.059
		60/1	0.035		
		62/1	0.068	0.116	0.116
		63/1	0.048		
		64/1		0.017	0.017

43	भोनीसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	70/1		0.012	0.012
		71/2		0.126	0.126
		74/1		0.019	0.019
		75/1		0.035	0.035
		77/1	0.075	0.097	0.097
		78/1	0.022		
		79		0.025	0.025
		80/1		0.075	0.075
		83/1		0.026	0.026
		90/1		0.324	0.324
		98/1		0.322	0.322
		69/1		0.036	0.036
		104/1	0.054	0.234	0.234
		105/1	0.180		
106/1		0.084	0.084		
योग			4.019	3.509	
44	मेहरवानसिंह आ. भोनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	48/1		2.055	0.450
		49/1		0.437	0.437
		65/1	0.069	0.202	0.202
		66/1	0.133		
		93/1		0.177	0.177
		100/1		0.867	0.867
		103/2/1/1		0.297	0.297
		97/1		0.265	0.265
		योग			4.300
45	बनेसिंह आ. भोनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	48/2		2.055	0.450
		49/2		0.436	0.436
		54/2/1/2		0.400	0.400
		65/2	0.070	0.203	0.203
		66/2	0.133		
		93/2		0.177	0.177
		97/2		0.266	0.266
		100/2		0.866	0.866
		103/2/2		0.297	0.297
योग			4.700	3.095	
46	खनीराम पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी	50/1		0.677	0.335
		51/1		0.474	0.120
		योग			1.151

47	जशवंतसिंह पिता रोशनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50/2		0.676	0.335
		51/2		0.474	0.120
	योग			1.150	0.455
48	महेंद्र सिंह पिता घीसासिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/1/3		0.171	0.171
		55/1/1		1.012	1.012
		59/1/3		0.842	0.042
		61/1		0.026	0.026
		64/3		0.017	0.017
		69/3/1		0.018	0.018
		75/3		0.036	0.036
		77/3	0.076	0.097	0.097
		78/3	0.021		
		83/3		0.025	0.025
		90/3		0.325	0.325
	104/3		0.234	0.234	
योग			2.003	2.003	
49	मेहरबान सिंह आ. गोपाल सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/2/1		0.506	0.506
		54/2/1/1		0.444	0.444
	योग			0.950	0.950
50	कृष्णपाल सिंह पिता घीसासिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/1/2		1.011	1.011
		55/6/3		0.280	0.280
		59/2/3	0.023	0.059	0.059
		60/3	0.036		
		62/3		0.116	0.116
		69/3/2		0.018	0.018
		73/3		0.039	0.039
		80/3		0.075	0.075
	98/3		0.322	0.322	
106/3		0.084	0.084		
योग			2.004	2.004	
51	भोनीसिंह आ. पूरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/3		2.000	2.000
		योग		2.000	2.000
52	नारायणसिंह आ. मानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/4		2.023	2.023
		योग		2.023	2.023
53	मोती आ. किशना जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/5		1.861	1.861
		योग		1.861	1.861
54	भोनसिंह आ. पूरसिंह भागूबाई बेवा पूरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56	0.228	0.443	0.443
		57	0.126		
		58	0.089		

	योग			0.443	0.443
55	नरभे सिंह रामचंद्र पिता रूघा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68		0.063	0.063
	योग			0.063	0.063
56	लखन सिंह आ. दूलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	82		0.582	0.582
	योग			0.582	0.582
57	राजुबाई आ. मोती जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/3	0.140	0.266	0.266
		85/4	0.126		
		85/7	0.202	0.822	0.822
		85/8	0.531		
		85/9	0.089		
	योग			1.088	1.088
58	गंगाराम आ. कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	85/13		3.793	1.693
		योग		3.793	1.693
59	धुला आ. देवा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/15/1		3.300	3.300
		102/2		0.051	0.051
		योग		3.351	3.351
60	गुलाब सिंह पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/15/2		1.759	1.750
		योग		1.759	1.750
61	मांगुसिंह आ. पदमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम कांसपूरा भूमि स्वामी	85/17		2.529	0.120
		योग		2.529	0.120
62	नरभेसिंह आ. देवीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पचिया भूमि स्वामी	85/18		6.070	3.190
		योग		6.070	3.190
63	रोड़ीबाई पति चंदर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/19/1/1		0.686	0.686
		85/16/2/1		0.316	0.316
		107/2/1/4		0.033	0.033
		112/5/2/1/0001		0.126	0.126
		112/5/3/1/0001		0.080	0.080
	योग			1.241	1.241
64	बालु पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/19/1/2		0.686	0.686
		85/16/2/2		0.316	0.316
		107/2/1/2		0.032	0.032
		112/5/2/1/0002		0.126	0.126
		112/5/3/1/0002		0.080	0.080
	योग			1.240	1.240
	नारायण पिता भंवरलाल जाति बैलदार	85/19/1/3		0.686	0.686

65	पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/16/2/3		0.316	0.316
		107/2/1/1		0.032	0.032
		112/5/2/1/0003		0.126	0.126
		112/5/3/1/0003		0.080	0.080
	योग			1.240	1.240
66	करण सिंह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/19/1/4		0.687	0.687
		107/2/1/3		0.033	0.033
		112/5/2/1/0004		0.126	0.126
		112/5/3/1/0004		0.080	0.080
	योग			0.926	0.926
67	रामलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	85/21		3.050	0.050
		योग		3.050	0.050
68	पिरूसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/22/2		0.250	0.250
		107/2/2		0.033	0.033
		योग		0.283	0.283
69	नरभे सिंह पिता रूधा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/1/2		0.466	0.466
		96/1/2		0.040	0.040
		योग		0.506	0.506
70	अन्तर सिंह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/1	0.173	0.455	0.455
		88/1	0.076		
		89/1	0.206		
		89/6/1		0.190	0.190
		89/13/1		0.169	0.169
	योग		0.814	0.814	
71	शिवसिंह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/3		0.456	0.456
		89/6/3		0.189	0.189
		89/13/3		0.170	0.170
	योग		0.815	0.815	
72	गोकूल सिंह पिता दर्यावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम कोडीया भूमि स्वामी	89/3		0.038	0.038
		योग		0.038	0.038
73	जुझार आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/7/1	0.221	0.784	0.784
		89/8/1	0.563		
	योग		0.784	0.784	
74	मनोहर आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/7/2	0.221	0.784	0.784
		89/8/2	0.563		
		8/1/6		1.083	1.083
		योग		1.867	1.867

75	राजाराम आ. बापूलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2/2		0.013	0.013
		103/1/2		0.284	0.284
		103/2/1/2		0.230	0.230
		107/3/1		0.360	0.360
	योग			0.887	0.887
76	पूरीलाल बद्रीलाल पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/2/3		0.759	0.759
		योग		0.759	0.759
77	पूरीलाल पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/4/1	0.250	0.500	0.500
		91/5	0.250		
		109/2	0.613	0.823	0.823
		110/2	0.210		
	योग		1.323	1.323	
78	पर्वत सिंह पिता भवाना जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92		0.442	0.442
		योग		0.442	0.442
79	रतन पिता बापू जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2/1		0.012	0.012
		103/1/1		0.284	0.284
		107/3/3		0.360	0.360
	योग		0.656	0.656	
80	घनश्याम पिता बापू जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2/3		0.013	0.013
		103/1/3		0.283	0.283
		107/3/2		0.360	0.360
	योग		0.656	0.656	
81	हरकुबाई पति रायसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/1	0.069	0.721	0.721
		108/1	0.652		
	योग		0.721	0.721	
82	कालूसिंह आ. रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/1	0.613	0.823	0.823
		110/1	0.210		
	योग		0.823	0.823	
83	राधेश्याम पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/3/2		0.253	0.253
		योग		0.253	0.253
84	देवसिंह पिता नारायण रतनबाई वि. नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/3/3		0.253	0.253
		योग		0.253	0.253
85	गोविन्द पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/3/4		0.253	0.253
		योग		0.253	0.253

86	मोहन लाल पिता नारायण जी जाति सुतार पता निवासी ग्राम टोलीघाटा भूमि स्वामी	112/3/1		0.253	0.253
	योग			0.253	0.253
87	सिध्दु पिता अमरसिंह जाति बैलदार	8/1/5/3		0.668	0.668
	योग			0.668	0.668
88	प्रहलाद पिता अमरसिंह जाति बैलदार	8/1/5/2		0.666	0.666
	योग			0.666	0.666
89	घीसालाल पिता अमरसिंह जाति बैलदार	8/1/5/1		0.666	0.666
	योग			0.666	0.666
90	शंकर पिता धुला जाति बैलदार	8/1/2/4		0.243	0.243
	योग			0.243	0.243
91	सुजानसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार	8/1/7/1		1.000	1.000
	योग			1.000	1.000
92	राजाराम आ. बापूलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (टांडीवाला)	89/9/2		0.625	0.625
				0.625	0.625
93	ईश्वर पिता भागीरथ जाति बैलदार	8/1/7/2		1.000	1.000
	योग			1.000	1.000
महायोग				145.732	117.341

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

राजगढ़, दिनांक 23 मार्च 2018

प्र. क्र.-2340-अ-82-2015-2016

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.2013 सन्2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील राजगढ़, जिला राजगढ़ की ग्राम-भोपालपुरा के लिए डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे

कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता हैं।

—: अनुसूची :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित भूमि ग्राम :-मोपालपुरा

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित भूमि
1	2	3	4	7
1	भोनसिंह पिता मुन्नालाल छन्नूबाई बेवा मुन्ना धीसीबाई राजलबाई पिता मुन्ना जाति चमार निवासी ग्राम ओडपूर भूमि स्वामी	176/287	0.089	0.089
	योग:-	1	0.089	0.089
2	मांगीलाल पिता भेरूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	197	0.240	0.240
		180	0.177	0.157
		181	0.266	0.010
		196	0.038	0.038
		199/2	1.226	0.428
		2	1.670	1.670
	योग:-	6	3.617	2.543
3	भंवरलाल, गणपतलाल, पिता पूराजी कमलाबाई पुत्री पूराजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	183	0.038	0.010
		188	0.164	0.164
		189	0.215	0.215
		217	0.987	0.177
	योग:-	4	1.404	0.566
4	राजेशकुवर ऊर्फ राजकुवर बेवा बलरामसिंह सोना ऊर्फ सोनूकुवर उमाकला ऊर्फ उमाकुवर पिता बलरामसिंह बशरह नं. 78/3 भू-राजस्व जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	178/288	0.342	0.142
		180/283	0.038	0.030
		193	0.177	0.013
	योग:-	3	0.557	0.185
5	केशरसिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	190	0.164	0.140
	योग:-	1	0.164	0.140
6	नारायण पिता मायाराम, धापूबाई पति नारायण जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/2/3	1.000	0.101
	योग:-	1	1.000	0.101

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित भूमि
7	रामसिंह पिता बलदेव जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	223/2/5	1.000	0.013
	योग:-	1	1.000	0.013
8	शिवसिंह पिता भेरुसिंह लक्ष्मीनारायण मांगीलाल पिता शिवसिंह जगदीश ना.बा. पिता फतेहसिंह सर.प.मा. रेखाबाई रेखाबाई बेवा फतेसिंह जाति सौधिया निवासी ग्राम टोडरी भूमि स्वामी	37/1	1.518	1.518
		37/2/2	2.064	0.358
	योग:-	2	3.582	1.876
9	सुरेन्द्रसिंह दत्तक पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	37/2/1	0.541	0.541
	योग:-	1	0.541	0.541
10	डूंगरसिंह चैनसिंह पिता किशनलाल जाति राजपूत निवासी ग्राम धतरावदा तह.जीरापुर भूमि स्वामी	38	0.848	0.848
	योग:-	1	0.848	0.848
11	सुरेन्द्रसिंह, प्रभूनाथसिंह कैलाशकुंवर हेमकुंवर पिता भगवानसिंह भंवरीबाई बेवा भगवानसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	75	0.632	0.054
	योग:-	1	0.632	0.054
12	लखनलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल ना.बा.सर.दत्तक पिता नाथूलाल पिता रामलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176	0.089	0.075
	योग:-	1	0.089	0.075
13	भीमसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	176/285	0.266	0.185
	योग:-	1	0.266	0.185
14	प्रेमेशसिंह, योगेशसिंह पिता शिवसिंह कल्पनाकुंवर पिता शिवसिंह प्रेमकुंवर बेवा शिवसिंह जाति राजपूत निवासी राजगढ़ भूमि स्वामी	20	2.390	2.390
		176/286	0.114	0.076
	योग:-	2	2.504	2.466
15	श्यामराजसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	21	1.795	1.795
	योग:-	1	1.795	1.795
16	आदित्यराजसिंह पिता ब्रजराजसिंह प्रतिभा रितुराज दिपीका रुद्रराज पिता ब्रजराजसिंह अनूपकुंवर बेवा ब्रजराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33	0.721	0.721
		40	0.886	0.182
	योग:-	2	1.607	0.903
17	श्रीलाल पिता बिहारीलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	30	0.455	0.173
		32	0.190	0.190
	योग:-	2	0.645	0.363
18	भारतसिंह पिता भानसिंह जाति चमार निवासी ग्राम भूमि स्वामी	39/1	0.639	0.390
	योग:-	1	0.639	0.390

सं.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित भूमि
19	रंगलाल रामचन्द्र पिता पन्नलाल हि. 1/6 जगन्नाथ सरदारबाई गीताबाई नारायणीबाई पिता चेना हि. 2/3 घनश्याम पिता भंवरलाल हि. 1/6 जाति चमार निवासी, ग्राम भूमि स्वामी	39/2	0.639	0.264
	योग:-	1	0.639	0.264
20	करणसिंह मांगीलाल गजराजसिंह श्रीलाल पिता बिहारीलाल सम्पतबाई बेवा प्रेमनारायण सजनसिंह हेमराज पिता प्रेमनारायण सन्तोष संजूबाई मंजूबाई पिता प्रेमनारायण जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	3	1.493	1.493
	योग:-	1	1.493	1.493
21	अमृतलाल पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/1	0.063	0.063
		5/1	0.152	0.110
		6/1	0.219	0.189
		22/1	0.072	0.072
		23/1	0.135	0.124
	योग:-	5	0.641	0.558
22	रामनारायण पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/2	0.063	0.063
		5/2	0.152	0.118
		6/2	0.220	0.190
		23/2	0.207	0.185
	योग:-	4	0.642	0.556
23	इन्दरसिंह पिता बापूलाल जाति सौधिया निवासी, ग्राम भूमि स्वामी	4/3	0.064	0.064
		5/3	0.151	0.118
		6/3	0.219	0.189
		22/2	0.206	0.206
	योग:-	4	0.640	0.577
24	बनेसिंह पिता धूलजी जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	15	0.089	0.062
		19	0.304	0.304
		18	0.379	0.379
		16	0.455	0.255
		17	0.139	0.095
		31	0.670	0.545
	योग:-	6	2.036	1.640
25	देवजी पिता कनीराम जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	195	0.468	0.367
		198	0.126	0.126
	योग:-	2	0.594	0.493
26	गणपतलाल पिता पूरलाल जाति सौधिया निवासी ग्राम भूमि स्वामी	204/1	0.177	0.177
	योग:-	1	0.177	0.177
27	रमेशचन्द्र पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी	203	0.455	0.340
	योग:-	1	0.455	0.340

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नम्बर	कुल रकबा	कुल अर्जित भूमि
28	सिद्धनाथ पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी	201	0.139	0.139
		209/1	0.266	0.013
		210	0.202	0.101
		202/1	0.873	0.063
	योग:-	4	1.480	0.316
29	रामकैलाश पिता मानसिंह जाति यादव निवासी ग्राम सौजीपुरा भूमि स्वामी	209/2	1.479	0.680
		योग:-	1	1.479
30	जितेन्द्रसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/1	0.418	0.338
		योग:-	1	0.418
31	शिवपालसिंह पिता रघुराजसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम भूमि स्वामी	221/2	0.417	0.291
		217/301	0.316	0.024
	योग:-	2	0.733	0.315
	कुल योग :-	65	32.406	20.880

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्रमांक 2341-भू-अर्जन-18

क्रमांक/ / / भू-अर्जन/2018 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में बोरखेडा मार्ग निर्माण तहसील नरसिंहगढ़ के मार्ग निर्माण ग्राम बोडा, ढाबला, पनवाडी, कण्डराकोटरी, पीपल्या बीरम, कोटरीकलां, के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवर्तयवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है, चूंकि बोडा बोरखेडा मार्ग पूर्व से निर्मित है, एवं इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है, ओर इस कारण धारा 19(3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची(1)

तहसील-नरसिंहगढ़

संक्र०	विवरण	ग्राम का नाम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		योग
			सिंचित	असिंचित	
1	2	3	4	5	6
		बोडा	-	0.199	0.199
2		ढबला	-	0.030	0.30
3	निजी	पनवाडी	-	0.058	0.058
4		कण्डरा कोटरी	-	0.023	0.023
5		पीपल्य बीरम	-	0.064	0.064
6		कोटरीकलां	-	0.089	0.089
		योग		0.463	0.463

बोडा बोरखेडा मार्ग निर्माण अंतर्गत ग्राम बोडा,ढबला,
पनवाडी, कण्डराकोटरी, पीपल्य बीरम, कोटरीकलां तहसील नरसिंहगढ़

अनुसूची(2)

बोडा बोरखेडा मार्ग निर्माण आने वाली निजी भूमि का विवरण :-

1- ग्राम :- बोडा

संक्र०	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं०	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	कसूबाई -मोतीलाल जाति अहीर	1240/1/1	0.670	-	0.070	0.070
2	कृष्णा बाई - जगन्नाथ जाति बलाई	1240/3/2	0.253	-	0.025	0.025
3	जगन्नाथ - शंकर जाति बलाई	1240/4	0.253	-	0.015	0.015
4	दिनेश कुमार -किशनलाल जाति महाजन	2341/1/1	0.443	-	0.013	0.013
5	मांगीलाल - धूल जी जाति माली	2344	0.670	-	0.076	0.076
	कुल किला योग	5	2.889	-	0.199	0.199

2- ग्राम :- दाबला

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	तेजसिंह -रामसिंह जाति राव	307/2	0.278	-	0.030	0.030
	कुल किता योग	1	0.278	-	0.030	0.030

3- ग्राम :- पनवाडी

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	असिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	भगवान सिंह दत्तक पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत	257	0.202	-	0.022	0.022
2	विक्रम सिंह पिता हजारीलाल जाति चौरसिया	568/2	2.353	-	0.036	0.036
	कुल किता योग	2	2.555		0.058	0.058

4- ग्राम :- कण्डरा कोटरी

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मोड सिंह - विक्रमसिंह पिता हजारीलाल जाति चौरसिया	373/1	0.146	-	0.023	0.023
	कुल किता योग	1	0.146	-	0.023	0.023

5- ग्राम :- पीपल्या बीरम

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवसिंह - मोतीलाल जाति चौरसिया	87/1/1	0.089	-	0.013	0.013
2	शिवसिंह - मोतीलाल जाति चौरसिया	116	0.291	-	0.051	0.051
	कुल किता योग	2	0.380	-	0.064	0.064

6- ग्राम :- कोटरीकलां

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	न्यामत खॉ -शरीफ खॉ-	721/1/2	0.089	-	0.089	0.089

	युसुफ खॉ - उस्मान खॉ-गजरा खॉ जाति मुसलमान					
	कुल किता योग	1	0.089	-	0.089	0

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राज्य शासन के आदेश राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला ग्वालियर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

ग्वालियर, दिनांक 12 मार्च 2018

प्र. क्र. 19-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है। मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है। इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम	
(1)	(2)	(3)	सर्वे नंबर	(5)	(6)	
ग्वालियर	डबरा	बिलौआ	संलग्न सूची अनुसार— 1.332 है।	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर.	ग्वालियर झांसी मार्ग से घोंघा व्हाया बिलौआ मार्ग का बी.ओ.टी. योजना दो लेन पेव्हट/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.	

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

ग्राम:—बिलौआ

प.ह.नं.:—4

तहसील डबरा, जिला ग्वालियर

बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम बिलौआ में पूर्व प्रचलित मार्ग के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल	कुल अर्जित क्षेत्रफल	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
636	13.167	0.256	-
637	1.672	0.010	-
729	0.240	0.020	-
810	2.424	0.030	-
909	4.588	0.501	-
910	12.258	0.034	-
1132, 1133	0.209	0.030	-
1174	0.105	0.022	-
1175	0.146	0.046	-
1176	0.052	0.010	-
1186	0.136	0.025	-
1188	0.084	0.013	-
1189	0.031	0.010	-

(1)	(2)	(3)	(4)
1231	0.219	0.010	-
1233	0.188	0.020	-
1234	0.146	0.010	-
1236	0.230	0.020	-
1237	0.209	0.010	-
1238	0.063	0.010	-
1239	0.115	0.020	-
1249	0.125	0.010	-
1254	0.042	0.010	-
1889	0.439	0.010	-
1897	0.230	0.025	-
1899	0.125	0.020	-
1901	0.094	0.020	-
1902	0.219	0.020	-
1903	0.052	0.010	-
1904	0.073	0.010	-
1905	0.146	0.010	-
1913 शा.न. 2008	0.052	0.020	-
1914	0.063	0.020	-
1915	0.146	0.010	-
1917	0.471	0.030	-
योग . .	<u>38.559</u>	<u>1.332</u>	-

प्र. क्र. 20-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: —

भूमि का वर्णन				अनुसूची	धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	रफादपुर	संलग्न सूची अनुसार— 1.540 है.		संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर.	ग्वालियर झांसी मार्ग से घौंघा व्हाया बिलौआ मार्ग का बी.ओ.टी. योजना दो लेन पेव्हट/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कार्य का नाम: — ग्वालियर झांसी मार्ग (एन.एच.-75) से बिलौआ-घोंघा मार्ग को विकसित करने बावत् भू-अर्जन का प्रस्ताव
ग्राम:—रफादपुर प.ह.नं.:—08 तहसील डबरा, जिला ग्वालियर

बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम रफादपुर के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल	कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
65	1.010	0.020	-
67	0.540	0.120	-
70	0.040	0.030	-
84	0.320	0.320	-
83	1.250	0.010	-
73/मिन-1	0.790	0.140	-
75	0.400	0.120	-
73/मिन-2	0.210	0.130	-
81	1.610	0.050	-
86/मिन-2	0.210	0.020	-
90	0.120	0.050	-
91	0.310	0.040	-
89	0.520	0.010	-
92	0.310	0.050	-
101	0.100	0.100	-
122	1.250	0.130	-
124	1.200	0.100	-
130	0.700	0.100	-
योग . .	10.890	1.540	-

प्र. क्र. 21-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलग्न सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	जौरासी	संलग्न सूची अनुसार— 1.420 है.	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर.	ग्वालियर झांसी मार्ग से घोंघा व्हाया बिलौआ मार्ग का बी.ओ.टी. योजना दो लेन पेव्हट/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

ग्राम:—जौरासी

प.ह.नं.:—03

तहसील डबरा, जिला ग्वालियर

बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम जौरासी के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल	कुल अर्जित क्षेत्रफल (हैक्टे.)	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)
760	2.100	0.040	-
858	3.040	0.120	-
756	0.020	0.010	-
757	1.040	0.020	-
765	0.520	0.040	-
766	0.310	0.010	-
809	1.350	0.370	-
812/2	1.650	0.310	-
824	0.940	0.060	-
834	1.620	0.040	-
839	1.280	0.010	-
841	1.420	0.030	-
840	0.580	0.060	-
861	0.740	0.080	-
864	0.750	0.050	-
865	2.300	0.060	-
866/1	0.220	0.030	-
866/2	0.220	0.030	-
866/3	0.220	0.030	-
867	0.650	0.010	-
868/1	0.090	0.010	-
योग . .	21.060	1.420	

प्र. क्र. 22-अ-82-17-18-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा आशय की सूचना दी जाती है, कि कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों को पूरा हो जाने तक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है. मुख्य नहर/माईनर नहर/सब-माईनर नहर का निर्माण पूर्व से चल रहा है तथा अधिकांश भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुका है. इस कारण धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल सर्वे नंबर	के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी	का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
ग्वालियर	डबरा	सूखापठा	संलग्न सूची अनुसार—5.059 है.	संभागीय प्रबंधक, म. प्र. सड़क विकास निगम, ग्वालियर.	ग्वालियर झांसी मार्ग से घोंघा व्हाया बिलौआ मार्ग का बी.ओ.टी. योजना दो लेन पेक्ट/हार्ड शोल्डर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लॉन) न्यायालय, भू-अर्जन अधिकारी, ग्वालियर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

बिलौआ-घोंघा मार्ग निर्माण हेतु ग्राम सूखापठा के प्रभावित निजी सर्वे नम्बरों की सूची

खसरा नम्बर	कुल क्षेत्रफल	कुल अर्जित क्षेत्रफल (हेक्टे.)	रिमांक
(1)	(2)	(3)	(4)
121	0.261	0.010	-
122	0.115	0.013	-
123	1.776	0.032	-
130	0.304	0.036	-
131	0.010	0.010	-
132	1.108	0.023	-
135	0.857	0.010	-
136	0.324	0.036	-
137	0.773	0.056	-
152	0.397	0.021	-
225	1.327	0.100	-
226	0.481	1.010	-
228	0.690	0.038	-
229	1.369	0.072	-
231	1.318	0.050	-
232/2	0.032	0.032	-
233	7.431	0.310	-
236	1.213	0.288	-
239	2.018	0.173	-
346	0.888	0.048	-
352/2	0.031	0.031	-
353 मिन	0.156	0.156	-
354	0.408	0.056	-
363	0.439	0.003	-
355	0.700	0.031	-
365	0.533	0.012	-
402 मिन	0.575	0.055	-
405	0.042	0.012	-
430 मिन	0.073	0.073	-
470	0.125	0.013	-
471	0.084	0.026	-
473	0.063	0.022	-
475	0.136	0.018	-
476	0.031	0.029	-
711	0.157	0.012	-
712	0.261	0.031	-
721	0.356	0.022	-
723/1420	0.125	0.022	-
724	0.418	0.019	-
725	0.136	0.016	-
726	0.052	0.012	-
728	0.157	0.010	-

(1)	(2)	(3)	(4)
729	0.219	0.016	-
730	0.272	0.022	-
731	0.314	0.064	-
732	0.240	0.034	-
733	0.334	0.018	-
735/1421	0.125	0.008	-
1214/1	1.202	0.590	-
1214/4	0.313	0.112	-
1215	0.314	0.200	-
1216	3.344	0.027	-
1318/1	0.787	0.096	-
1226	0.648	0.018	-
1230 मिन	1.066	0.034	-
1318/2	0.522	0.268	-
1332	7.045	0.096	-
1373	0.324	0.013	-
1374	0.199	0.045	-
1375, 1361/4 शामिल नम्बर	2.821	0.064	-
1376 मिन	0.041	0.021	-
1378	0.094	0.062	-
1383	1.348	0.032	-
1384	0.492	0.060	-
1386	0.418	0.111	-
1388	0.219	0.042	-
1389	7.045	0.059	-
1400	10.873	0.836	-
722	0.324	0.026	-
योग . .	<u>68.693</u>	<u>5.059</u>	-

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 22 मार्च 2018

क्र. 1473-जि.भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास और	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत, प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	कुरई/सुकतरा	करहैया/ प.ह.नं.-26.	0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 सिवनी, जिला-सिवनी.	ऐरमा जलाशय नहर क्षेत्र

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1481-जि.भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास और	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	कुरई/सुकतरा	ऐरमा/ प.ह.नं.-22.	1.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 सिवनी, जिला-सिवनी.	ऐरमा जलाशय नहर क्षेत्र

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1482-जि.भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	कुरई/सुकतरा	आगरी/ प.ह.नं.-22.	2.50	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 सिवनी, जिला-सिवनी.	ऐरमा जलाशय नहर एवं स्पिल क्षेत्र.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व /भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप में कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1483-जि.भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि-अर्जन, पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास,	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	कुरई/सुकतरा	करहैया/ प.ह.नं.-26.	18.48	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं.-1 सिवनी, जिला-सिवनी.	ऐरमा जलाशय डूब क्षेत्र.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं.-1, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1484-जि.भू.अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास,	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	कुरई/सुकतरा	पोतलाई/ प.ह.नं.-24.	15.63	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं.-1 सिवनी, जिला-सिवनी.	थादरझोडी जलाशय डूब क्षेत्र

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रं.-1, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1485-जि.भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा-15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	भूमि का विवरण नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जाने वाली भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	कुरई/सुकतरा	थावरझोडी/ प.ह.नं.-21.	22.70	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 सिवनी, जिला-सिवनी.	थावरझोडी जलाशय डूब क्षेत्र

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 1486-जि.भू.अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है।

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास और	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	कुरई/सुकतरा	थावरझोडी/ प.ह.नं.-21.	3.35	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 सिवनी, जिला-सिवनी.	थावरझोडी जलाशय नहर क्षेत्र

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला सिवनी के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

क्र. 1487-जि.भू.-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) तक उल्लेखित वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उपयुक्त प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वास, एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है.

(2) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में धारा 15 के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे:—

अनुसूची

भूमि का विवरण				भूमि अर्जन, पुनर्वास और	अर्जित की जाने वाली भूमि
जिला	तहसील/ रा.नि.मं.	नगर/ग्राम प.ह.नं.	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हे. में.)	पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिवनी	कुरई/सुकतरा	ऐरमा/ प.ह.नं.-22.	1.17	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1 सिवनी, जिला-सिवनी.	थावरझोडी जलाशय नहर क्षेत्र.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व/भू-अर्जन अधिकारी कुरई, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-1, जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग भोमा, जिला-सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर सिवनी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपालचंद्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 मार्च 2018

क्र. 77-भू-अर्जन-2018—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1) के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमि के व्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची (1) के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित वृहद ताप विद्युत् परियोजना की प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की होने से अधिनियम के अध्याय 2(अ) की धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन एवं अन्य उपबन्धों से छूट प्रदान की गयी है। जिसका प्रकाशन पृथक से किया गया है इस कारण से धारा 11(3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1):—

भूमि का विवरण					
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे. में.)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकारी अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	सनावद पुनासा	बमनगांव	1.085	कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन.	खरगोन वृहद ताप विद्युत् परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये रेलपथ के निर्माण हेतु,

अनुसूची (2):—

“रेलपथ निर्माण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम—बमनगाँव” की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नम्बर	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में.)
(1)	(2)
231/1, 233/1, 235/1, 237/4 239/1, 239/2-239/3, 264/4, 264/6	1.085
योग . .	1.085

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बड़वाह एवं कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी लिमिटेड खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्रमांक-73-भू-अर्जन-2018

कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी.लिमिटेड, खरगोन के द्वारा उनके पत्र क्रमांक भू-अर्जन/2018/8229 से 8235, दिनांक 05/03/2018 के द्वारा जिला खरगोन की तहसील सनावद के ग्राम सेल्दा-डालची में स्थापित की जा रही **(2x660) मेगावाट की "वृहद ताप विद्युत परियोजना में कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेलपथ के निर्माण हेतु"** भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक-30 सन् 2013) के तहत भू-अर्जन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा भू-अर्जन अधिनियम-2013 के अध्याय-2 की धारा-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। पूर्व में इसी प्रयोजन हेतु प्रस्तावित भूमि के संबंध में सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट दी जा चुकी है।

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित परियोजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 16-15-(1)-2014-सात-शा. 2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं अशोक कुमार वर्मा, कलेक्टर, जिला-खरगोन एवं समुचित सरकार म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10-ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित ग्रामों की भूमि को अधिनियम के अध्याय-2 की धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण एवं अन्य उपबंधों से छूट प्रदान करता हूँ-

क्र.	जिला	तहसील	प0ह0न0	ग्राम का नाम	प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे० में)	सार्वजनिक प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	खरगोन	सनावद	47	बांसवा	0.553	खरगोन वृहद ताप विद्युत परियोजना को कोयला आपूर्ति के लिये प्रस्तावित रेलपथ के निर्माण हेतु।
2			51	भानबरड	0.385	
3			49	भोपालपुरा	0.817	
4			49	बमनगाँव	1.085	
5			10	भोगगाँवनिपानी	0.140	
6			48	बोदगाँव	0.162	
7			09	डाल्याखेडी	0.660	
				योग	3.802	

नोट:-

- 1- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है।
- 2- उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बडवाह एवं कार्यकारी निदेशक, एनटीपीसी.लिमिटेड, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार वर्मा कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 15 मार्च 2018

पत्र क्र. 612-प्रशा.-भू-अर्जन.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमियों का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासि और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रामनगर
(ग) ग्राम—गुलबार गुजारा
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.809 हेक्टेयर.

भू-स्वामी का नाम	खसरा नं.	प्रभावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)
श्री आनन्द बहादुर सिंह तनय चन्द्रबली सिंह ठाकुर	833/1	0.809
	योग . .	<u>0.809</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—बाणसागर जलाशय के जल भराव में आने के कारण शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वासि बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 26 मार्च 2018

क्र. 184- भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013,

संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—रघुराजनगर
(ग) नगर/ग्राम—डिलौरा
(घ) क्षेत्रफल—0.014 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
228/4/1	0.014
निजी खाता भूमि योग . .	<u>0.014</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—सतना मैहर बायपास निर्माण हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

सतना, दिनांक 4 अप्रैल 2018

क्र. 213-भू-अर्जन-2018.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013, संशोधन (क्रमांक एक, सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—(म. प्र. शासन/निजी खाता)

- (क) जिला—सतना
(ख) तहसील—मैहर
(ग) नगर/ग्राम—डॉडी
(घ) क्षेत्रफल—0.063 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
359/337/क	0.063
निजी खाता भूमि योग . .	<u>0.063</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये अर्जन आवश्यक है—अतिरिक्त 160 एम.व्ही.ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन), जिला सतना के न्यायालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश शुक्ल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.